राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 2 सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का चौतीसवां दिवस संख्या: 21

सोमवार,

05 अगस्त 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: राम-राम। राम-राम। श्रावण के तीसरे सोमवार की सबको शुभकामनाएं। प्रश्न काल। श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना में संचालित कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार

378. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में वर्तमान में संचालित सरकारी व निजी कंपनियों द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों को स्किल्स ट्रेनिंग व रोजगार उपलब्ध कराने हेतु नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

उद्योग मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में सात स्टोन क्रेशर इकाइयां कार्यरत हैं, जिनमें 58 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। 01 फूड प्रोसेसिंग इकाई कार्यरत है, जिसमें लगभग 200 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लकडी फर्नीचर, फैब्रिकेशन, होटल, रेस्टोरेंट, टेंट हाउस, लाइट डेकोरेशन, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, मसाला उद्योग इत्यादि छोटे-छोटे उद्यम स्थापित हैं जिनमें लगभग 700 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के उद्यमों को ऋण/अनुदान उपलब्ध करवाकर वित्तीय वर्ष 2023-2024 एवं 2024-2025 में निम्न उद्यम में निम्न अनुसार बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया गया है।

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर
+++: शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।
000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

योजना का नाम	स्थापित इकाइयों की संख्या	उपलब्ध रोजगार की संख्या
PMEGP Prime Minister Employment Generation Programme प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	3	19
MLUPY मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना	8	12
BRUPY डॉ. भीमराव अंबेड़कर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना	1	2
RIPS Rajasthan Investment Promotion Scheme राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना	2 प्रस्तावित	55 प्रस्तावित
MYUPY मुख्य मंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना	1	2

मनोहर थाना विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत सरकारी एवं निजी कम्पनियों में श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से बेरोजगार युवाओं को किसी प्रकार का कोई रोजगार प्रदान नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर आपके माध्यम से माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इनका जो प्रश्न है उसमें खास तौर से इन्होंने लिखा हुआ था, मनोहर थाना में, वैसे इनके क्षेत्र के तकरीबन 1700 युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग दी गई है। उसमें से तकरीबन 680 को रोजगार मिला है, लेकिन विधान सभा क्षेत्र के बाहर।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न भी आने दें।

उद्योग मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (2) युवाओं में कौशल क्षमता को विकास कर उन्हें रोजगार उन्मुख बनाये जाने की दृष्टि से स्टेट स्किल पॉलिसी लायी जाकर वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक बनाते हुये प्रदेश में 2 वर्षों की अवधि में 1,50,000 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग करवायी जायेगी। स्टेट स्किल पालिसी बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में संचालित सरकारी व निजी कंपनियों में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 958 युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है।

पास ही विधान सभा कोटड़ा जागीर में धागा फैक्ट्री है, जो हजारों को रोजगार दे सकती है। माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कोटड़ा जागीर में जो धागा फैक्ट्री है, उसको चालू करने पर विचार करते हैं? उससे हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकता है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिलकुल ठीक

फ़रमा रहे हैं कि जो यह फैक्ट्री एक बार शुरू हुई, वह अगर लगातार चलती रहे तो उसके अन्दर बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिल सकता है। कोई फैक्ट्री चले, उसके बाद चलकर बंद हो जाये, अभी फिलहाल रीको के, इंडस्ट्री के कानूनों के अन्दर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। इसीलिए हम एक नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, ताकि जो इंडस्ट्री चलते हुए बंद हो जाती है तो उसके ऊपर भी हम चर्चा कर सकें। उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं पूछना चाहूंगा कि प्रदेश का युवा देश का भविष्य है इसलिए उनके उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित एवं सुनिश्चित करना आपका और हमारा कर्तव्य है। आप क्या यूथ पॉलिसी लाने पर विचार रखते हो?

श्री अध्यक्षः यह यूथ से जुड़ा हुआ ही नहीं है। उद्योग से है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य का मतलब नई उद्योग पॉलिसी से था। जिसमें युवाओं को लाभ मिलेगा। नई उद्योग पॉलिसी प्रक्रियाधीन है, उसको बनाया जा रहा है। ड्राफ्ट तैयार हो रहा है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री बाबूसिंह राठौड़।

जोधपुर में पुनर्विवाह एवं पालनहार योजना के लाभार्थी

379. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर में सरकार जनवरी, 2019 से 31 मई, 2024 तक विधवा पुत्री विवाह, बी.पी.एल. पुत्री विवाह, विकलांग विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह योजना एवं पालनहार योजना हेतु कब-कब, कितना-कितना बजट आवंटित किया गया? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) जिला जोधपुर में माह दिसम्बर, 2018 से माह जून, 2024 तक उक्त योजनाओं के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उक्त में से कितने आवेदकों को कितनी सहायता राशि का वितरण किया गया? वर्षवार व योजनावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं में आवेदन करने वाले कितने आवेदक किन कारणों से वंचित रहे? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) जिला जोधपुर में जनवरी 2019 से 31 मई, 2024 तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (विधवा पुत्री विवाह, बी.पी.एल. पुत्री विवाह) सुखद दाम्पत्य योजना (विकलांग विवाह), डा. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह योजना, विधवा विवाह उपहार योजना एवं पालनहार योजना हेतु बजट आवंटन की वर्षवार सूचना परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

वर्ष 1997-98 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह पर

अनुदान हेतु विधवा पुत्री विवाह योजना का प्रारम्भ किया गया। योजना के दिशा-निर्देश परिशिष्ट-02 पर संलग्न है। वर्ष 2005 में बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों के विवाह पर सहायता हेतु सहयोग योजना प्रारम्भ की गई। योजना के दिशा-निर्देश परिशिष्ट-03 पर संलग्न है। वर्ष 2016-17 में उक्त दोनो योजनाओं को एकीकृत कर सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम 2015 जारी किये गये। योजना के दिशा-निर्देश परिशिष्ट-04 पर संलग्न है।

वर्ष 2020 में सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया, परिशिष्ट-05, योजना के दिशा-निर्देश परिशिष्ट-06 पर संलग्न है। पूर्व की विधवा पुत्री विवाह, बी.पी.एल. पुत्री विवाह योजना वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से संचालित है।

(2) जिला जोधपुर में माह दिसम्बर 2018 से जून 2024 तक उक्त योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों, लाभान्वितों एवं व्यय राशि का योजनावार व वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 07 पर संलग्न है।

(3) उक्त योजनाओं में आवेदन करने वाले वंचित आवेदकों की कारण सहित संख्यात्मक सूची परिशिष्ट 08 पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, सभी विद्यालय प्रभारी पालनहार कैटेगरी में आने वाले बच्चों के प्रवेश की सूचना एसएसओ कार्यालय में भेजें तो योजना का लाभ शीघ्र मिलेगा। क्या सरकार पालनहार योजना में विधवा, दिव्यांग, एचआईवी, सिलिकोसिस पीड़ित इत्यादि कैटेगरी के साथ कैंसर जैसी भयानक बीमारी के बच्चों को जोड़ने व विधवा माता के सभी बच्चों को लाभ देने का विचार रखती है? स्पष्ट करें। पहला सवाल।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य एवं वरिष्ठ साथी बाबूसिंह जी राठौड़ ने जो सवाल किया है पालनहार योजना के सम्बन्ध में, उसमें निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी स्कूलें हैं, चूंकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं, स्कूलों से पालनहार योजना के नये लाभार्थियों की शीघ्र सूचना मंगवाने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा सभी विद्यालय प्रभारियों को निर्देश हेतु अपने विभाग के द्वारा शिक्षा मंत्रालय और माननीय शिक्षा मंत्री जी से समन्वय कर आने वाले समय में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये जायेंगे ताकि पालनहार योजना से जो लाभान्वित हैं, उनमें कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारी है, उसके पीड़ितों को भी इसमें जोड़ा जा सके, लाभ दिया जा सके।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मेरा दूसरा सवाल भी है। इसमें विधवा के सभी बच्चों का मैंने पूछा था, उसका जवाब आपने दिया नहीं। क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना में ऋण की स्वीकृति सम्बन्धित बैंक द्वारा की जाती है, ई

मित्र से ऋण आवेदन विभाग को प्राप्त होता है, विभाग उस आवेदन को ऑफलाइन से भेजता है? यदि हां, तो क्या सरकार बैंक को ऋण आवेदन प्रस्ताव ऑनलाइन भिजवाकर निष्पादन करने का विचार रखती है? स्पष्ट करें। यह विधवा के बच्चों का भी बता देना, सबको ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पालनहार योजना में जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं, कैंसर रोगियों के आश्रित बच्चों को सम्मिलित करने का प्रकरण पहले तो नीतिगत निर्णय से सम्बन्धित है, इसलिए परीक्षण करवाया जायेगा और दूसरा, विधवा महिलाओं के सभी बच्चों के बारे में भी आवश्यक कार्यवाही करके आपको सूचित कर दिया जायेगा।

दूसरा, आपने जो बैंक और विभाग के बीच मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत जो पैंडिंग एप्लीकेशंस आती हैं, उनका समन्वय कर निस्तारण करेंगे और आवश्यकता होने पर ऑनलाइन पोर्टल के बारे में भी आवश्यक कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अंशुमान सिंह भाटी।

बीकानेर में स्वीकृत राशन की दुकानें

380. श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बीकानेर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में राशन की कितनी दुकानें स्वीकृत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त जिला में किस-किस गांव की दुकानें कब से निलम्बित हैं तथा उक्त दुकानों के राशन वितरण का कार्य कितने समय से दूसरे गांवों के राशन डीलरों को दिया गया है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) जिला बीकानेर में राशन की कितनी दुकानों के आवेदन किन कारणों से लम्बित हैं? क्या सरकार नवीन राशन की दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) वर्तमान में बीकानेर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में 579 एवं शहरी क्षेत्र में 285 कुल 864 उचित मूल्य दुकाने है। राशन डीलर का नाम, गांव का नाम सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला बीकानेर में कुल 17 उचित मूल्य दुकान निलम्बित है। निलम्बित एवं अटैच दुकानदारों का दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) बीकानेर जिले में 09 राशन दुकानों (07 रिक्त एवं 02 नवसृजित) के आवेदन लंबित है। पूर्व में कोरम के अभाव में बैठक स्थगित होने, चुनाव आचार संहिता लगने एवं आवंटन सलाहकार समितियों के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन समाप्त किये जाने के कारण

आवंटन प्रक्रिया नहीं हो सकी है। अतः उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति के गठन उपरान्त उक्त आवेदनों का यथाशीघ्र निस्तारण किया जायेगा।

विभागीय निर्देश दिनांक 07.04.2010 एवं 26.12.2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित 500 राशनकार्डो अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित हैं। जिनके अनुसार उचित मूल्य दुकान का पुनर्निर्धारण कर आवश्यकतानुसार उचित मूल्य दुकानो का गठन किया जाता है।

Spp/Rtm/05.08.2024/11.10/1b

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। राशन दुकान के निलम्बन पश्चात् प्रथम अटेचमेंट का चार्ज नये डीलर के पास कितने महीने तक रह सकता है? मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इसमें 6 महीने का नियम है। पर इसमें 6 महीने के नियम का अटेचमेंट चलता है। यह मैं कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपने मुझे उत्तर दिया, उसमें प्रथम अटेचमेंट और द्वितीय अटेचमेंट के बीच में तकरीबन एक साल का समय, तो आप इसका अगर हमें बता पायें कि किस कारण से यह हुआ?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करूंगा कि यदि ऐसा प्रकरण आप मेरे संज्ञान में लायेंगे तो जरूर इस पर कार्यवाही आवश्यकतानुसार की जायेगी।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): दूसरा प्रश्न पूछूंगा कि क्या निलम्बित पश्चात् राशन दुकान का चार्ज निकटतम डीलर को देने का नियम है तो इसकी पालना क्यों नहीं की गयी? क्योंकि कई गांवों में दो-तीन गांव छोड़कर राशन डीलरों की जो चार्ज वहां पर दिये गये, इससे ग्रामीणों को काफी दिक्कत होती है और आमजन में समस्या काफी विद्यमान है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के प्रकरण यदि कोई संज्ञान में आयेगा तो उस पर सरकारी नियम के अनुसार जो निकटतम दुकान है, उसको अटेच करने का नियम है। उसी के अनुसार आवंटन किया जायेगा। अटेचमेंट चार्ज दिया जायेगा। यदि आपको ऐसा कोई प्रकरण ध्यान में है तो आप व्यक्तिगत मुझे बताइये, मैं उस पर तुरंत कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: नो। आपके दो पूरक प्रश्न हो गये। अगला प्रश्न, श्री श्रीचन्द कृपालानी।

निम्बाहेड़ा में छात्रावास की स्थापना

381. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में छात्र-छात्राओं के लिये कितने छात्रावास खोले गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र छोटी सादड़ी में नवीन छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में छात्र-छात्राओं के लिए खोले गये छात्रावासों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र छोटी सादड़ी में अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर संसाधनों, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, बजट की उपलब्धता एवं अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर से निर्णय किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी जी से पूछना चाहूंगा कि छात्रावास खोलने के मापदण्ड क्या हैं? दूसरा, मेरा जो टी एस पी क्षेत्र छोटी सादड़ी है, वहां पर चार ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनमें 85 प्रतिशत से अधिक जनजाति रहती है। ईटों का तालाब, करणपुर कलां, कालाकोट व ढाबरा तथा 9 पंचायतें ऐसी हैं जहां पर 56 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं। क्या सरकार वहां पर जनजाति छात्रावास खोलने का विचार रखती है तथा जहां पर टी एस पी क्षेत्र नहीं है निम्बाहेड़ा में और वहां जनजाति क्षेत्र की दो पंचायतें हैं जिनमें 60 से 70 प्रतिशत जनजाति के लोग हैं तो वहां पर भी खोलने का विचार है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री नन्दलाल जी मीणा साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वहां पर जितने भी हमारे हॉस्टल खुले हैं, नन्दलाल जी मीणा जब मंत्री थे, उन्होंने खोले थे।

श्री अध्यक्ष: आप तो प्रश्न पूछो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कांग्रेस के राज में एक भी हॉस्टल हमारे यहां नहीं खुला।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): प्रश्न मैंने पूछ लिया न। माननीय मंत्रीजी बताइये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल वास्तव में सही है। विभाग द्वारा नवीन छात्रावास खोले जाने के प्रस्ताव को

संसाधनों तथा बजट की उपलब्धता, अनुसूचित जाति की जनसंख्या एवं अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष क्षेत्र-विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये छात्रावास हेतु आवंटित की जाने वाली नि:शुल्क 2.5 एकड़ भूमि, जिसके निकट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हों, भूमि का क्षेत्र विद्युतिकृत हो व पानी की पूर्ण उपलब्धता हो। भूमि पक्की सड़क मार्ग से जुड़ी हुई हो व क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हो एवं आवंटित की जाने वाली भूमि से हाईटेंशन लाइन नहीं गुजर रही हो। ऐसे स्थान पर नवीन छात्रावास खोले जाने का निर्णय सक्षम स्तर पर लिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता सही है कि वहां पर भी जनजाति क्षेत्र के बालक हैं। बालिका छात्रावास हैं, लेकिन बालक एक भी नहीं है, लेकिन आपकी चिन्ता चूंकि पिछली बार वहां पर एक प्रभावशाली नेता थे, वहां के विधायक थे, उन्होंने चिन्ता नहीं की, आपने चिन्ता की, इसलिये आपको धन्यवाद दे रहा हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): वे तो मंत्री थे न।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आप अपना प्रस्ताव बनाकर भेजिये।

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं। आपको एक पूरक प्रश्न पूछने का और मौका मिलेगा।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): निश्चित रूप से उनको ध्यान में रखते हुये हम वहां पर खोलने के लिये अगर यह सारे नॉर्म्स पूरा करते हैं तो गुणावगुण के आधार पर उस पर निर्णय किया जायेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं साहब, मैं आपको जो भी नॉर्म्स पूरे करते हैं उनकी लिस्ट दे दूंगा और मुझे विश्वास है आप खोलेंगे।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वर्तमान में निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में जितने भी छात्रावास हैं, उनमें आप क्षमता बढ़ाने पर विचार करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि वहां पर रूम कम हैं और क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है।

इसके साथ ही साथ जो आपको मैंने पूछा था और आपने पहले बताया भी है कि बच्चियों के छात्रावास तो हैं लेकिन बच्चों के छात्रावास भी आप खोलने का विचार रखते हैं या नहीं रखते? यह जवाब दे दें आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि वहां पर एक भी बच्चों का छात्रावास नहीं है, केवल मात्र एक है। दूसरा आपने क्या कहा, क्योंकि मैं सुनता कम हूं थोड़ा बहुत वापस रिपीट कर दें।

श्री अध्यक्ष: संख्या बढ़ायेंगे कि नहीं?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): संख्या बढ़ाने का पूछा है।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): क्षमता वृद्धि की कई जगह से मांग आती है और यह आवश्यक भी है, क्योंकि छात्रों की संख्या बढ़ी है तो निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्षः बिराजें। अगला प्रश्न। श्री भैरा राम चौधरी।

ओसियां के ग्रामों के राजस्व रिकार्ड का डिजिटलाइजेशन

382. श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ओसियां में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत सभी ग्रामों के राजस्व रिकॉर्ड का पृथक्करण का कार्य पूर्ण कर जमाबंदियों को ऑनलाइन कर दिया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना के प्रथम चरण में किए गए पृथक्करण के तहत नक्शों में दर्ज गलत तरमीमों के शुद्धिकरण के लिए द्वितीय चरण में सर्वे-रिसर्वे कर अशुद्धियों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): (1) जी हां। DILRMP योजनान्तर्गत आने वाली तहसील ओसियां, तिंवरी तथा बावड़ी के समस्त ग्रामों के राजस्व रिकार्ड का डिजिटलाइजेशन के तहत सेग्रीगेशन (पृथक्करण) का कार्य पूर्ण कर जमाबंदियों को ऑनलाइन किया जा चुका है।

(2) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में राजस्व रिकार्ड के डिजिटलाइजेशन के दौरान नक्शों में दर्ज गलत तरमीमों के शुद्धिकरण हेतु प्राप्त आवेदन का तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तहसील	आवेदन	निस्तारित	शेष
ओसियां	132	109	23
बावड़ी	392	373	19
तिंवरी	124	83	41

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत तरमीम/नक्शे सम्बन्धित लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त करने के प्रावधान हैं। सम्बन्धित उपखण्ड न्यायालयों द्वारा प्रकरण दर्ज कर विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर देते हुये निमयानुसार निस्तारण किया जा रहा है। अलग से विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा, यह बड़ा सीरियस प्रश्न है। वहां गांव के पूरे लोगों की शांति भंग हो गयी है। जमीनों की तरमीम, जो एक्चुअल में जो लट्ठा और नक्शा है, उसमें तो तरमीम सही है, लेकिन जो डिजिटल नक्शों का जिस एजेन्सी ने यह सर्वे किया है, यह उनकी गलती से या फिर पटवारी या आर.आई. की गलती से पूरे गांव की जमीनों की तरमीम अस्त-व्यस्त कर दी है, उसका जिम्मेवार जो सर्वे एजेन्सी है या फिर पटवारी है और जो जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ में आप क्या कार्यवाही करेंगे? क्योंकि पूरे गांव की जमीन का तरमीम और

लट्ठा व नक्शा एकदम सही है, लेकिन ऑनलाइन में उन्होंने अपनी मनमर्जी से कर दिया, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर आने दीजिये क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों के माध्यम से पूरी तरह से यह बात स्पष्ट है कि नक्शों में तरमीम और यह सब इनमें त्रुटियां हुई हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को यह विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि इसमें यह प्रावधान है राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1957 नियम 166 के तहत जरिये फर्द बदर शुद्ध करने हेतु मण्डल के पास भेजने के लिये 7.11.2019 को समस्त कलेक्टरों को इसके शुद्धिकरण के लिये भेज रखा है। इसी प्रकार तहसील ऑनलाइन के प्रसार में यदि नक्शों में किसी प्रकार की अशुद्धि रही हो तो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तरमीम शुद्धि किये जाने हेतु कलेक्टरों को निर्देशित कर रखा है।..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: उत्तर आने दें पूरा। आप बोलो, आप पूरा करो उत्तर।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): हो गया, यह दो प्रावधान हैं।

श्री अध्यक्ष: बिराजो।

Jyg/rtm/05.08.24/11.20/1c

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक किसान जो घर में बैठा है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसके नक्शे और तरमीम जो पहले से ही सही थी, सर्वे एजेंसियों ने जिन्होंने डिजिटल भू-अभिलेख का किया और पटवारियों ने जो गलती की है, अब वो 136 के अन्दर वो एसडीएम के अन्दर चक्कर के ऊपर चक्कर काट रहा है और वहां पर वकील करता है और वहां कभी तहसीलदार नहीं मिलेगा, कभी वहां एसडीएम सीट पर नहीं बैठेगा, उसकी तो शांति भंग हो गई। पिछले कम से कम सात-आठ महीनों से इस प्रकार की समस्या चल रही है। ..(व्यवधान).. मेरा आपसे निवेदन है कि सर्वे करने वाली जो एजेंसी है, पिछली सरकार में 2020-21 में जिस सर्वे एजेंसी को ठेका दिया है उसके खिलाफ आप कुछ कार्यवाही करना चाहते हैं या नहीं? ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। अब बोलो, जल्दी बोल रहे थे। ..(व्यवधान).. उत्तर आने दीजिए।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता जो शेम-शेम कर रहे हैं, यह पूरा काम ..(व्यवधान)..।

श्री अध्यक्ष: आप अपना उत्तर दीजिए।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): इन्हीं के माध्यम से हुआ है। परंतु मैं आपको बता दूं कि कलक्टर, जोधपुर ने हाल ही में जोधपुर जिले में यह ऑनलाइन जो त्रुटियां हुई हैं, उनके लिए विशेष अभियान चलाने का प्रावधान किया है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि इन सभी, चूंकि सुओमोटो के माध्यम से भी इन त्रुटियों का

निस्तारण एसडीओ और तहसीलदार के माध्यम से किया जा सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरे क्षेत्र में क्योंकि इसमें किसान की कोई गलती नहीं है। गलती तहसीलदार, पटवारी के माध्यम से और सर्वे करने वाली कम्पनी के माध्यम से हुआ है। सुओमोटो उनके माध्यम से इसका पूरा निस्तारण आने वाले समय में किया जाएगा।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न।

श्री कान्ति प्रसाद।

सरिस्का अभयारण्य में स्थित रास्तों पर इन्टरलॉक टाइल्स लगाने की योजना

383. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में स्थित सरिस्का से पाण्डुपोल व सरिस्का से टहला कच्चे मार्ग पर विगत पांच वर्षों में मोरम बिछाने पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त दोनों ही कच्चे मार्गों पर सवाई माधोपुर वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र स्थित श्री गणेश मंदिर मार्ग की भांति इंटरलॉक टाइल्स लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): (1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में स्थित पाण्डुपोल मार्ग, सरिस्का तथा टहला मार्ग संधारण के कार्यो पर विगत पांच वर्षो में व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मेरे पास आ गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हर वर्ष मोरम तो डाली जाती है पर उस पर रोलर नहीं चलाया जाता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जब मोरम डालें तो उस पर रोलर भी चलना चाहिए, ताकि आने वाले पर्यटकों को परेशानी नहीं हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि रणथम्भौर में नेशनल पार्क है, सरिस्का भी नेशनल पार्क है। वहां पर गणेशजी के मन्दिर में इंटरलॉक टाइल्स डली हुई हैं तो फिर हनुमानजी के मन्दिर में इंटरलॉक टाइल्स डलवाने में आपको क्या दिक्कत आ रही है जबकि सरकार ही मंदिरों के नाम से, गायों के नाम से बनी है तो माननीय मंत्रीजी मेरा आपसे निवेदन है और आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन है कि मंदिरों के प्रति यदि इतनी चिंता है तो आपको पाण्डुपोल हनुमानजी के यहां भी इंटरलॉक टाइल्स डलवानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, निवेदन नहीं, प्रश्न पूछें।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने सरिस्का स्थित पाण्डपोल मन्दिर को लेकर जो प्रश्न किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि गत सरकार आपकी बैसाखी के ऊपर ही टिकी हुई थी, आप चाहते तो उस समय भी वो सड़क बनवा सकते थे। माननीय मुख्य

मंत्रीजी ने और माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो सदन में बजट प्रस्तुत किया, माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा हर क्षेत्र में वन संरक्षण के लिए पेज नम्बर 43 पर प्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं और वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में सरिस्का स्थित पाण्डुपोल और रणथम्भौर में त्रिनेत्र गणेशजी के लिए ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ई-बस का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा किया गया है तो निश्चित रूप से आवागमन के लिए अच्छे साधन के रूप में सड़क की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त भी करता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरिस्का को ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण से मुक्त करने और श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरिस्का गेट से टहला गेट एवं पाण्डुपोल मन्दिर मार्ग पर अच्छी गुणवत्ता की ग्रेवल सड़क बनवाकर वहां पर आवागमन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं को और जो ट्यूरिस्ट आते हैं उनको अच्छी सुविधा मिले उसके लिए मैं आपके बीच में, सदन के बीच में घोषणा भी करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पूसाराम गोदारा।

चूरू में सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को ऋण वितरण

384. श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सहकारी बैंकों में किसानों को अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन ऋण देने की साख सीमा कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ एवं चूरू जिले में सहकारी बैंकों द्वारा विगत चार वर्षों में उक्त साख सीमा के अनुसार कितने किसानों को कितना ऋण दिया गया है? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ऋण की साख सीमा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सहकारी समितियों में लंबे समय से कार्यरत व्यवस्थापकों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री गोतम कुमार): (1) ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 1.50 लाख रुपये तक अल्पकालीन ऋण की साख सीमा एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सीधे किसानों को कृषक मित्र योजनान्तर्गत 3.00 लाख रुपये तक अल्पकालीन साख सीमा दिये जाने का प्रावधान है।

मध्यकालीन ऋण अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 10.00 लाख रुपये तक की साख सीमा उपलब्ध करायी जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ एवं चूरू जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा विगत 4 वर्ष में किसानों को उक्त साख सीमा अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये ऋणों का विवरण परिशिष्ट- 01 पर संलग्न है।

(3) सहकारी बैंकों के पास सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत उक्त साख सीमा को वर्तमान में बढ़ाया जाना विचाराधीन नहीं है।

(4) सहकारी समितियों में लंबे समय से कार्यरत व्यवस्थापकों को नियमित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने 1.50 लाख रुपये की साख सीमा की लिमिट बताई है, एसटी लोन की और कृषक मित्र योजना की 3 लाख रुपये और एमटी लोन की 10 लाख रुपये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इस लिमिट के अनुसार वास्तव में एसटी और एमटी लोन किसान को सहकारी समिति के सदस्य को दिया जाता है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ से आने वाले माननीय विधायकजी ने जो प्रश्न पूछा है उसकी सूची उपलब्ध करवा दी गई है, जो परिशिष्ट-1 पर है कि रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में हमने जो ऋण उपलब्ध कराया है। 2023-24 में 10162 किसानों को 5704 लाख रुपये का अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया है। चूरू जिले में 86853 किसानों को 463 करोड़ का अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया गया है।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): एमटी?

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): एमटी ऋण के कोई आवेदन हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर आवेदन प्राप्त होंगे तो निश्चित रूप से उनको भी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि 1.5 लाख रुपये की लिमिट सैंक्शन के विरुद्ध में एक सदस्य को इनके उत्तर के मुताबिक 5,600 रुपये मिलते हैं, क्या वो फल बिजाई, बीज के ही पैसे 5,600 रुपये नहीं होते, एक सदस्य को मात्र 5,500 रुपये दे रहे हो और उसकी लिमिट 1.50 लाख रुपये की है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि किसान हित में लिमिट के अनुसार उनको एसटी लोन दिया जाए, एमटी लोन के लिए आवेदन है, कृषि साथी, कृषि मित्र के लिए भी आवेदन है, लेकिन आपकी बैंकों द्वारा उन्हें लोन नहीं दिया जा रहा है। यह सत्य है, इसलिए कारण बताएं कि उनको लोन क्यों नहीं दिया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें। माननीय मंत्रीजी, बताइए।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो एमटी लोन और अल्पकालीन ऋण की बात की जा रही है कि अल्पकालीन ऋण कम लिमिट से, लिमिट से थोड़े-से कम दिए जा रहे हैं।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): थोड़े नहीं, 5000 रुपये देते हैं 1.50 लाख रुपये के अगेंस्ट में।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय सदस्य, मैं पूरा बात रहा हूं न आपको। ऋण माफी के बाद में जो पुराने ऋणी थे उनको तो हम 50 हजार रुपये प्रति वर्ष 5 परसेंट बढ़ाकर दे रहे हैं चूरू जिले में और जो नए सदस्य जुडे हैं पिछली बार, हमने इस साल भी 5 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य लिया है और इस साल हमने लिमिट भी बढ़ाई है, निश्चित रूप से सरकार की मंशा किसानों को अधिकतम ऋण उपलब्ध कराने की है। निश्चित रूप से माननीय सदस्य की जो भावना है हम उनको अधिकतम ऋण उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और प्रश्न करना चाहूंगा कि व्यवस्थापकों को जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं और अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं, सहकारी समितियां उनको पेमेंट कर रही है, उनको आपने नियमित करने का इरादा नहीं बताया है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, उनको नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है? कारण इसमें उत्तर में स्पष्ट नहीं किया गया है कि नियमित नहीं किया जा सकता और क्या इनकी ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का इरादा भी आप रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: बैठिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा व्यवस्थापकों के नियमितीकरण के लिए भी पूछा गया है तो अभी तो वर्तमान में हमारे पास प्रस्ताव उपलब्ध है नहीं और इस पर माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बूंदी और अजमेर जिले के जो व्यवस्थापक हैं, वो न्यायालय में अपने लिए गए थे और वहां पर मामला विचाराधीन है और कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया है, जैसे ही वहां से स्टे खुलने के बाद में परीक्षण करते ही उनको नियमित करने की प्रक्रिया सरकार द्वारा प्रारम्भ की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरिमोहन शर्मा।

बूंदी में विद्युत सुधार कार्यों पर व्यय

385. श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बूंदी में विगत तीन वर्षों में विद्युत सुधार हेतु कितनी राशि कब-कब आवंटित की गई तथा उनसे क्या-क्या कार्य करवाये गये? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवंटित राशि में से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) विधान सभा क्षेत्र बूंदी में गत तीन वर्षो में विद्युत वितरण तंत्र में सुधार हेतु अधिक भार वाले 33 केवी व 11 केवी के फीडरों का विभाजन करना, नये ट्रांसफार्मर की स्थापना करना एवं टेढ़े-मेढ़े व क्षतिग्रस्त पोलों को सही

करना या नये पोल लगाना इत्यादि कार्यो के लिए आवंटित राशि का वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

प्रसारण तंत्र के अन्तर्गत 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन रायथल व सम्बन्धित लाइनों का निर्माण कार्य पूर्ण करके दिनांक 30.05.2024 को स्थापित किया गया है। आवंटित राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त आवंटित राशि में से व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' व ''ब'' पर उपलब्ध है।

MLS/RTM/05.08.2024/11:30/1d

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी लेना चाहता हूं कि जो आरडीएसएस के लिए धनराशि बून्दी विधान सभा क्षेत्र तथा बून्दी जिले के लिए स्वीकृत की गयी है, उस राशि में से अब कितनी प्रतिशत राशि खर्च की गयी है?

दूसरा, जो 2023-24 और 2024-25 तक मेरी जानकारी के हिसाब से आरडीएसएस के लिए जून, 2025 फिक्स है, उस अवधि तक उन्हें काम पूरा करना है। ऐसे में जो यह शेष राशि बची है, इसके लिए आप समय पर फीडर सुधार के लिए क्या कदम उठाएंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष जी, बून्दी जिले में आरडीएसएस के माध्यम से 114.96 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। उसके विरुद्ध अभी तक 15.9 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि जून, 2025 तक ये काम पूरे होने हैं, निश्चित रूप से से ये काम इसी अवधि तक पूरे होने हैं। इस पर कार्य प्रगति पर है। ये कार्यादेश पूर्ववर्ती सरकार के समय दिये गये थे, लेकिन उस समय जब टैंडर किये गये, टैंडरों में जो उनके फीडर हैं, जो सामान लगने चाहिये थे, सही तरीके से उनमें भिन्नता आने से वे कॉन्ट्रैक्टर इस काम को लेट भी कर रहे हैं। समय पर नहीं कर रहे हैं। हमने सरकार में आने के बाद मॉनिटरिंग शुरू की है।

अभी लगभग उनकी प्रगति कुछ आयी है, फिर भी जो अपेक्षा की जा रही है, उससे काफी धीमी प्रगति है। इनकी फिर हम वापस मॉनिटरिंग भी करेंगे। अगर फिर ये ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं करते हैं, लेट करते हैं तो इन संवेदकों के खिलाफ हम कार्यवाही भी प्रस्तावित करेंगे।

माननीय सदस्य ने जो आरडीएसएस के कार्य के लिए पूछा है, उनमें आपके 33 केवी के फीडर जो हैं, उसमें 98 लाख का कार्य पूर्ण हो चुका है, जो चार फीडरों की विभक्तिकरण का काम है। एक आपके 11 केवी के 17 फीडरों के विभक्तिकरण में भी 164.67 लाख का कार्य पूर्ण हो चुका है। 11 केवी के फीडरों का कृषि और कृषि पृथक्करण में भी 2.5 लाख का कार्य

पूर्ण हो चुका है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक 114 करोड़ में से 15 प्रतिशत राशि खर्च हुई है और इन्हें जून, 2025 में टारगेट पूरा करना है। मुझे लगता नहीं है कि यह सम्भव होगा कि सारा फीडर सुधार का कार्यक्रम जून, 2025 तक कर दें। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि मॉनिटरिंग आपकी तरफ से इतनी सख्त होनी चाहिये कि इस धनराशि का सही समय पर उपयोग हो जाये।

मेरा दूसरा प्रश्न है, सब-डिविजनल कार्यालय में 2015 के कनेक्शन अभी तक नहीं हुए। जिस कॉन्ट्रैक्टर को यह काम दिया गया, उसके टाइम पीरियड को दो साल से भी ज्यादा गुजर गये। 10 हजार रुपये लेकर तो वह सामान दे रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया था कि 2015 के कनेक्शन नहीं होने के कारण सरकार 2016-17 के कनेक्शंस जारी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी जगह 2016-17 के हो गये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये, भाषण नहीं। बिजली पर चर्चा हो चुकी है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): हां, यही मैं कह रहा हूं। मैं यही निवेदन करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र उन 2015 के कनेक्शंस को पूरा करवाएं। दूसरी जगह 2016-17 तो क्या, 2017-18 के हो गये। यहां अभी 2015 के ही लटके हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: हो गया। माननीय मंत्री जी, आपने बिजली की चर्चा में सारी बातें कह दी हैं। क्या कुछ बताना है आपको?

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 23.02.2024 से 30.06.2024 तक इनके 1195 कृषि कनेक्शंस लम्बित हैं और निश्चित रूप से इन लम्बित कृषि कनेक्शंस के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने टर्नकी आधार पर ठेकेदारों को काम दिये। उन ठेकेदारों ने समय पर काम नहीं किया। हमारी सरकार ने उस प्रगति को रिव्यू किया है। अब हमने यह तय कर दिया है कि जिसने जितने खम्भे और तारों का इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है, वह उतना काम पूरा कर ले। आगे के काम के लिए हमने उन्हें नोटिस देकर मना कर दिया है कि वे काम नहीं करें। 2015 के कनेक्शंस की आप समस्या बता रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मर नहीं दे पा रहा है, अगर वह अभी नहीं देता है तो हमारा विभाग उन्हें वे टांसफॉर्मर देगा और आगे के बाकी कनेक्शंस को हम विभागीय आधार पर सीएलआरसी के आधार पर जारी करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री देवेन्द्र जोशी।

जोधपुर के राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान में विकास कार्य

386. श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर के परिसर में

राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान, जोधपुर नाम से एक नवीन खेल संस्थान प्रारम्भ किया गया है? यदि हां तो कब तथा उक्त संस्थान का विधिक एवं वित्तीय स्टेटस क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में उक्त संस्थान में विकास कार्य हेतु अब तक कितनी राशि स्वीकृत कर कितने विकास कार्य करवाये गये? उक्त कार्यों की गुणवत्ता की जांच कब-कब व किस-किस एजेंसी के द्वारा की गयी तथा कब-कब ऑडिट करवायी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्थान में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों के वेतन, भत्तों पर प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय की जाती है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त संस्थान द्वारा माह जून, 2024 तक कितने खिलाड़ियों को कब-कब प्रशिक्षण दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

युवा मामले और खेल मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) जी हां। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान, जोधपुर की स्थापना राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर के परिसर में की गयी है।

उक्त संस्थान को राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के तहत दिनांक 04.04.2023 को पंजीकृत किया गया है। उक्त संस्थान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल बजट प्रावधान राशि रु. 460 लाख स्वीकृत है।

(2) राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान, जोधपुर के वर्ष 2023 में पंजीकृत होने के बाद विभाग द्वारा स्वीकृत विकास कार्य, करवाये गये विकास कार्यों का विवरण तथा करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच सम्बन्धी सूचना परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(3) वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान, जोधपुर में स्वीकृत पदों पर कार्यरत अधिकारी/कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों पर राशि रु. 49,19,746/- का व्यय हुआ है।

(4) वर्तमान में खेल मैदान एवं खेल सुविधाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। खिलाड़ियो के प्रशिक्षण का कार्य संस्थान परिसर में संचालित राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के तहत करवाया जा रहा है।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर मिल गया है। मेरा पूरक प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 2 के जवाब में लिखा गया है कि गुणवत्ता की जांच सम्बन्धी सूचना परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है, जबकि परिशिष्ट-क में जांच के बारे में केवल यह अंकित है कि गुणवत्ता जांच समय-समय पर करायी जाती है। यहां अधिकारियों द्वारा मेरे प्रश्न की अवहेलना की गयी है। मेरा प्रश्न था, कब-कब करायी गयी? ''करायी गयी'' की उसमें कोई सूचना नहीं है। ''करायी जाती है'', यह बहुत वाइड टर्म है। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कोई रिकॉर्ड, क्योंकि यह पूरा का पूरा राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान, जोधपुर में शारीरिक शिक्षक महाविद्यालय में चालू किया गया। इसका कोई औचित्य

नहीं था...

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछिये।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, पूर्ववर्ती सरकार ने भ्रष्टाचार के मंसूबों से इस संस्थान को करोड़ों रुपये दिये, कार्य की गुणवत्ता भी ठीक नहीं थी। मेरा प्रश्न है कि इस कार्य के गुणवत्ता की जांच कब-कब की गयी और किस एजेंसी द्वारा की गयी? मंत्री महोदय कृपया बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य क्रीड़ा संस्थान, जोधपुर में राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के परिसर में चल रहा है। 2023 में इसे स्थापित किया गया था और अभी तक तकरीबन 61 करोड़ रुपये इस पर खर्च हुए हैं। चूंकि पिछले साल ही इसे शुरू किया गया था, काम अभी चल रहा है, कुछ कार्य पूरे हो गये हैं, कुछ कार्य अभी भी चल रहे हैं, जिस भी एजेंसी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उस एजेंसी के आर्किटेक्ट्स निरीक्षण करते हैं लगातार। बनने के बाद जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद में भी निरीक्षण होता है। चूंकि हाल ही में हुआ है, इस वजह से यह लिखा गया है कि जब-जब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होता है, तब-तब इसके ऊपर जिस एजेंसी की जिम्मेदारी होती है, वह जांच करती है।

माननीय सदस्य का जो दूसरा प्रश्न है, जिसके ऊपर मुझे लगता है कि उनका फोकस है कि इसके ऊपर सरकार का क्या सोच-विचार है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के बीच में भी रखना चाहता हूं कि सोच ठीक थी, लेकिन यह राज्य क्रीड़ा परिषद् जहां डिप्लोमा दे रही है, हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेकर आ रहे हैं जो डिग्री देगी और उसके साथ-साथ हर सम्भाग में एक कॉलेज होगा, वह भी डिग्री देगा। अब जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस बजट में अप्रूव हुई है, उसमें डिग्री भी मिल रही है और डिप्लोमा भी मिल रहा है। इस कारण से राज्य क्रीड़ा संस्थान के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, इस पर वापस से चिन्ता करने की, सोच-विचार करने की जरूरत है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कुछ पूछना है?

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि इस संस्थान में अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है?

दूसरा, इस संस्थान के भविष्य के बारे में राज्य सरकार की क्या मंशा है? क्योंकि यह पूरा का पूरा पैसा है, तीसरी पार्टी का वहां एंटर करना, सीधा-सीधा लगता है भ्रष्टाचार का कोई बड़ा खेल है। माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि आज तक वहां कितने बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया और आगे इसके लिए सरकार की क्या मंशा है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2023 में यह स्थापित हुई, अभी भी उस पर काम चल रहा है। वहां पर जो खिलाडियों का प्रशिक्षण हो रहा है, वह

राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के माध्यम से हो रहा है। जैसा मैंने अपने पिछले उत्तर में कहा, इस पर सोच-विचार करने की जरूरत है कि क्या इसकी जरूरत है, क्योंकि हम एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेकर आ रहे हैं, जिसके हर सम्भाग में कॉलेज होंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री आदूराम।

नि:शुल्क कोचिंग योजना में अभ्यर्थियों का चयन

387. श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना कब प्रारम्भ की गयी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त कोचिंग योजना में अभ्यर्थियों के चयन हेतु नीति/प्रक्रिया निर्धारित की गयी? यदि हां तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में जिला बाड़मेर के कितने अभ्यर्थी लाभान्वित हुए? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) जी हां। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क करवाये जाने हेतु मुख्य मंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2021-22 से प्रारम्भ की गयी थी।

(2) जी हां। मुख्य मंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों का जिलेवार, वर्गवार एवं परीक्षावार सीट आवण्टन कर अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर पात्र अभ्यर्थियों का मैरिट के आधार पर विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोचिंग हेतु चयन किया जाता है। उक्त दिशा-निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(3) जी हां। मुख्य मंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक बाड़मेर जिले के लाभार्थियों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**लाभान्वितों की संख्या**
2021-22	210
2022-23	375
2023-24	772
कुल योग	1357

mkd/rtm/05.08.2024/11.40/1e

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार नि:शुल्क अनुप्रति कोचिंग योजना को आगे भी

सतत जारी रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसमें और भी क्या-क्या सुधारात्मक प्रयास किये जा सकते हैं, ताकि ग्रामीण तबके के गरीब तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रथम बार वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को लागू किया गया। पहली बार यह दस हजार स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित की गई थी। जब 2022-23 आया तो उसमें संशोधन करके 15 हजार विद्यार्थियों के लिए इसको लागू किया गया। वर्ष 2023-24 में जब इस योजना का लाभ अधिकतम लोगों को मिलने लगा तो सरकार ने इसकी संख्या बढ़ाकर तीस हजार कर दी।

जब सरकार ने यह योजना लागू की, विद्यार्थियों में अच्छा मैसेज भी गया और तीस हजार के बदले में पिछले साल तक लगभग बीस से बाईस हजार के करीब स्टूडेंट्स इस कोचिंग योजना के अन्दर लाभान्वित हो रहे थे।

मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार ऐसी किसी योजना को बन्द करने का विचार नहीं रखती है, जो राजस्थान की जनता के, छात्रों के हित में है।

निश्चित ही हमारी सरकार मुख्य मंत्री अनुप्रति योजना को और अधिक बेहतर तरीके से लाने के लिए और जो आरक्षित वर्ग के, जिसके बारे में आपने बताया है, उनको भी अधिक लाभ देने के लिए इस योजना के अन्दर और अधिक संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोगों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आर्थिक रूप से पिछड़े तथा अक्षम अभ्यर्थी, जो बड़े शहरों में रहकर अपना खर्चा नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए विशेष आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु कोई नवीन नीति बनायेंगे? या क्या-क्या नवीन सकारात्मक प्रयास किये जायेंगे?

श्री अध्यक्षः विराजिये। माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि पहले से ही इस योजना में तीन बार संशोधन हुए हैं, 2021-22, 2022-23, 2023-24 में लगातार सकारात्मक संशोधन हुए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, चाहे बीपीएल के हैं, चाहे एससी के हैं, चाहे एसटी के है, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, दिव्यांगजन हैं, उन सबको इस कैटेगरी में अलग लाभ दिया गया है। जिसकी सूची मैं माननीय सदस्य को देना चाहता हूं। आप मुझसे इसके बाद ले लें।

इसी अगस्त के अन्दर हम लोग एक नई पॉलिसी जारी करना चाह रहे हैं। उसमें पहले से ही प्रावधान है कि चालीस हजार रुपये हम ऐसे विद्यार्थियों को दे रहे हैं, जो अपने घर से कोचिंग संस्थान में दूर आकर पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं। जब इस स्कीम के बारे में, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी आश्वस्त करना चाहूंगा, चूंकि वे इस विभाग के मंत्री रहे हैं।

आप और मिलकर एक ऐसी योजना लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे राजस्थान के उन हजारों बच्चों को इस नि:शुल्क कोचिंग योजना का लाभ मिले। उन गरीब मां-बाप को, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन बच्चों को ऐसे प्रतिष्ठित और नॉन प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उनके माध्यम से जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जब यह नीति बन जायेगी, पहली कॉपी तो मैं आपको दूंगा, दूसरी कॉपी नेता प्रतिपक्ष महोदय को, उसके बाद सारे विधायकों भी कॉपी देंगे, ताकि उनके विधान सभा क्षेत्र के अन्दर उन लोगों को इसका मैसेज भी जाये और उसको फायदा उठा सकें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री थावर चन्द। तैयारी करके आओ।

धरियावद में राशन डीलरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

388. श्री थावर चन्द (धरियावद): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद में विगत दो वर्षों में राशन डीलरों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? सरकार द्वारा उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राशन वितरण व्यवस्था में अनियमितताओं को रोकने व व्यवस्था में सुधार हेतु कोई विशेष प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) जिला प्रतापगढ में विधान सभा क्षेत्र धरियावद के उपखण्ड धरियावद मे विगत दो वर्षो में कुल 09 शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं जिला सलूम्बर के लसाडिया एवं झल्लारा क्षेत्र की किसी उचित मूल्य दुकान की लिखित शिकायत विगत 2 वर्षो में प्राप्त नहीं हैं।

विधान सभा क्षेत्र धरियावद में उक्त 09 शिकायतों में 06 उचित मूल्य दुकानदारों का निलम्बन एवं 02 उचित मूल्य दुकानदारों की प्रतिभूति राशि जब्त की गयी एवं 01 की शिकायत निराधार पायी गयी।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता व कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण निलम्बन तथा निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के प्रावधान हैं तथा विभागीय परिपत्र दिनांक 07.09.2017 एवं 23.05.2018 द्वारा राज्य/जिला/तहसील उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों द्वारा उचित मूल्य दुकानों के खुलने, आंवटन, आपूर्ति-पहुंच एवं वितरण पर निगरानी हेतु दिशा/निर्देश जारी किये गये हैं।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर बायोमैट्रिक सत्यापन के उपरान्त राशन वितरण ऑनलाइन पीओएस मशीन की सहायता से किया जा रहा है साथ ही

बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं होने पर आइरिस मशीन के द्वारा भी सत्यापन किये जाने की सुविधा है।

वर्तमान में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राज्य में पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

वर्तमान में राशन की दुकानों पर digital weigh bridges को उपलब्ध करवाकर नवीन 4जी पॉइंट ऑफ सेल (pos) से संयोजन के उपरान्त लाभार्थियों को Auto weighted प्रक्रिया द्वारा राशन सामग्री की प्राप्ति हो सकेगी।

वर्तमान में प्रदेश की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित लाभार्थियों की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पोस मशीनों के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन (ई-केवाईसी) करवायी जा रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री थावर चन्द (धरियावद): वर्तमान में जब जांच चले तब तक अन्य को देने का विचार रखते हैं क्या?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बिलकुल। अभी हमने चार्ज दिया है। आपके विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 15 दुकानें अटैच हैं। आपकी 145 दुकानें हैं। जिनमें से दो निलम्बित हैं और 13 रिक्त हैं तो उन 15 दुकानों का अटैच चार्ज दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा पहला प्रश्न यह है कि जब ये राशन डीलर हड़ताल पर ही हैं तो यह बंट कैसे रहा है?

श्री अध्यक्ष: अभी तो धरियावद से ही पूछना है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो कॉमन प्रश्न है, पूरे प्रदेश का है।

श्री अध्यक्ष: यह कॉमन वाला नहीं है, इन्होंने प्रदेश का नहीं पूछा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, यह राशन वितरण प्रणाली, पूरे राजस्थान की सेम हैं और हड़ताल भी पूरे राजस्थान में है। मेरा स्पेसिफिक सिम्पल सा प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति, पहला तो यह हड़ताल कब तक समाप्त हो जायेगी? दूसरा, यदि कोई व्यक्ति किसी माह में राशन नहीं ले पाता है तो उसके लिए आगे सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहूंगा कि राशन डीलरों की जो बात है, उनसे हमारी बात चल रही है, समाधान का, पिछले पांच साल में आपकी सरकार ने जो कार्य नहीं किया, उसके बलबूते उनको हमारी सरकार से कुछ आशा है। हम जरूर प्रयास करेंगे आपस में बैठकर, वे हमारे राशन डीलर, उचित मूल्य दुकानदार हैं। वे भी इस कड़ी के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। उनके साथ बैठकर इस समस्या का समाधान कराया जायेगा।

दूसरा प्रश्न आपका है कि जिसको नहीं मिला है, तो उसको हम बिलकुल अगले महीने में देने का नियम करेंगे, ताकि उनको राशन मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री रामविलास। आपका प्रश्न नहीं है। बैठिये। नो। अंकित नहीं होगा। इन्होंने पूछ लिया। यह धरियावाद का प्रश्न है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्ष: बूंदी का हो तो बात करो।

प्रश्न संख्या 389

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल शर्मा।

माण्डलगढ़ में पटवारियों के रिक्त पद

390. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में जनवरी, 2018 से माह जून, 2024 तक कितने नवीन पटवार मंडल स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में कितने पटवार मंडल हैं तथा उक्त में कितने पद स्वीकृत व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): (1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में जनवरी, 2018 से माह जून, 2024 तक कोई नवीन पटवार मंडल सृजित नहीं हुआ है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में कुल 68 पटवार मण्डल आते हैं। उक्त में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का नामवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में राजस्व विभाग में पटवारियों के रिक्त 1963 पदों पर भर्ती हेतु राजस्व मण्डल के पत्र दिनांक 19.06.2024 द्वारा अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को भिजवायी हुई है। भर्ती कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पंचायत की दो हजार पोपुलेशन। एक पंचायत में दस-पन्द्रह हजार वोटर्स हैं। वहां भी एक ही पटवार मण्डल है और छोटी जगह भी पटवार मण्डल है। जैसे माण्डलगढ़, बिजौलिया, बिगौद बहुत बड़े कस्बे हैं, वहां पर एक-एक पटवार मण्डल हैं, वह भी दो-दो मण्डल एक पटवारी को दे रखे हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अब वे नवीन पटवार मण्डल के पद सृजित करना चाहते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

Bhs/Rtm/05.08.24/11.50/1f

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में प्रदेश में कुल 1035 नवीन पटवार मण्डलों के...।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने प्रश्न यह पूछा है कि उनके एक पटवारी कई परिवार और गांवों के ऊपर है उस पर क्या करने वाले हैं? आपने सुना ही नहीं।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): नहीं सुना है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, उसी का बताओ। यह 1009 खाली पद तो आपने पढ़ लिया।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य महोदय को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि पटवार मण्डल के जो मापदंड हैं उस मापदंड में अगर ये गांव आते हैं तो इनको बनाने की प्रक्रिया की जायेगी।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): दूसरा मेरा प्रश्न है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 48 मण्डल हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सी जगह तो तीन पंचायतों पर एक पटवारी है और बहुत सी जगह छोटी पंचायत में केवल एक पटवारी तो यह असमानता कैसे है? सबको बराबर करने का निर्णय करोगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य महोदय को यह कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी असमानता कुछ है तो उसको दिखवा कर पूरी तरह से व्यवस्थित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री जुबेर खान।

अलवर की केमिकल इकाइयों से प्रदूषण

391. श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में केमिकल इकाइयां स्थापित हैं? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना कब की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त इकाइयों का प्रदूषित पानी व कचरा हंस सरोवर में मिलता है, जिसके कारण कई पशु-पक्षियों की मौतें हो जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): (1) जी हां। अलवर जिले के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में कुल 71 केमिकल इकाइयाँ है जिनकी सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। रीको द्वारा अलवर जिले के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना नहीं की गई है।

(2) मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जल प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा लापरवाहीवश/ दुर्घटनावश औद्योगिक उच्छिष्ट के इकाई परिसर के बाहर नाले में प्रवाहित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उद्योगों के घरेलू उच्छिष्ट, मत्स्य औद्योगिक

क्षेत्र के आस पास के गाँव, रीको कॉलोनी से भी घरेलू उच्छिष्ट जनित होकर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के नालों में प्रवाहित होते हुए हंस सरोवर बाँध में पहुँच रहा है, इसकी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निरन्तर रूप से औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जाकर जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की जाँच की जाती है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उद्योगों में स्थापित उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.) व अन्य उपाय सुचारु रूप से संचालित है अथवा नहीं तथा दोषी उद्योगों पर जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योगों को बंद कराना, विधुत एवं जल सम्बन्ध विच्छेद करना, पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि (ई.सी.) अधिरोपित करना इत्यादि शामिल हैं।

वर्तमान में दूषित पानी से विगत तीन वर्षों में किसी भी प्रकार के पशु-पक्षियों की मौत की सूचना पशुपालन विभाग के सम्बन्धित नजदीकी पशु चिकित्सालय, बहाला को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी भी अलवर जिले से आते हैं। 71 कैमिकल इकाइयां लग रही हैं लेकिन कोई एस.टी.पी. वहां लगा हुआ नहीं है। यह सारा पानी बह कर जाता है हंस सरोवर में। पानी का कलर चैंज हो गया। 1990 से तो मैं यह मामला उठा रहा हूं बार-बार। अब लोग क्या रिपोर्ट करें, पशु चिकित्सालय में गये, हमारी गाय मर गई या भैंस मर गई, क्योंकि कोई कार्यवाही होती नहीं है तो मेरा मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि कोई ऐसी ठोस कार्यवाही करें कि एस.टी.पी. प्लांट लगे। इतनी बदबू आती है। आपका तो गांव रहा है, कभी-कभी वहां जाकर देखिये शाम को।

श्री अध्यक्षः आप तो प्रश्न पूछिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या हालत होती है, लोग खाना नहीं खा पाते। इतनी मक्खियां आ जाती हैं, मच्छर आ जाते हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तो मैं तो टू-द-पाइंट यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कि आज इस बात को पैंतीस साल हो गये कभी न कभी तो इसका निदान कराइये और आज आप अलवर के मंत्री होकर इसका निदान नहीं करा पाये, ये नेता, प्रतिपक्ष अलवर के नहीं करा पाये और मुझ जैसा एम.एल.ए. नहीं करा पाया तो फिर कौन करा पायेगा? मुझे बताओ।

श्री अध्यक्षः चलिये विराजो। माननीय मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ये दोनों मिल करके अलवर का जरूर कल्याण करायेंगे।

श्री अध्यक्षः यह अभी भी अलवर के पास ही है, पहले भी अलवर के पास ही था। माननीय मंत्री जी, बोलो।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पीड़ा व्यक्त की है, निश्चित रूप से उस पीड़ा से चाहे मैं हूं, चाहे नेता, प्रतिपक्ष हो, क्योंकि हम उसी जिले से आते हैं और बिलकुल नजदीक ही हमारे विधान सभा क्षेत्र लगे हुए हैं और हमारा दिल भी बहुत मिला हुआ है हम भलीभांति जानते हैं और जो विश्वास आपने अपने इस भाई पर व्यक्त किया है निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार कोई न कोई ठोस नीति बना करके इस समस्या का निस्तारण स्थायी समाधान करूंगा, यह मैं आपको विश्वास देता हूं।

साथ ही साथ, सी.ई.टी.पी. अथवा एस.टी.पी. की स्थापना का विषय उद्योग विभाग, रीको तथा औद्योगिक एसोसिएशन के विशेष प्रयोजन से सम्बन्धित है, तथापि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इस सम्बन्ध में भी यथा आवश्यक प्रयास किये गये हैं। रीको लिमिटेड, अलवर से प्राप्त जानकारी के अनुसार मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में सी.ई.टी.पी. की स्थापना हेतु मैसर्स अशोका लैलेंड के पीछे बीस हजार वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया जा चुका है। यह जानकारी आपके पास है तथा मत्स्य औद्योगिक संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार एस.टी.वी. मत्स्य वेस्ट ट्रीटर्स एसोसिएशन का गठन भी किया जा चुका है, अतः इस सम्बन्ध में रीको लिमिटेड, उद्योग विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र सी.ई.टी.पी. की स्थापना के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेकर उसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाना जरूरी है।

इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं मंत्री होने के नाते रीको और उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर इस काम को जल्द से जल्द करवा करके उस क्षेत्र की जनता को भी राहत प्रदान करेंगे और माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है उसकी निश्चित रूप से हम पालना भी करेंगे और आने वाले समय में इस समस्या का स्थायी निस्तारण हो उसके लिए हम कार्यवाही करेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री जी, मेरा एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष: आपके दो हो गये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं-नहीं, सिर्फ एक छोटा सा। मंत्री जी, जब तक ये प्लांट वगैरह नहीं लगता है रीको की काफी जमीन वहां पड़ी है तो जे.सी.बी. लगा कर थोड़ा बड़ा सा गड्डा करके तो कम से कम उसमें वह पानी जमा हो जाये, आगे हंस सरोवर में नहीं जाये, इतनी व्यवस्था तो करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप भी पूछ लें, एक साथ ही उत्तर दें। अलवर वासियों के प्रश्न हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल किया वह काफी गम्भीर है और इसमें दो चीजें और हैं तीन तो इन्होंने बता दी।

श्री अध्यक्ष: आप तो प्रश्न पूछें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): चौथा, केन्द्र के मंत्री भी अलवर से ही हैं पर्यावरण के और मुख्य मंत्री जी के जो रोड जा रही है उसी पर यह अलवर से जो भरतपुर जायेंगे तो

उसी रोड पर ये सारी चीजें हैं। यह एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है इसमें मंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न तो यह है, सुझाव नहीं है कि एन.सी.आर. के अन्दर कचरा नहीं जला सकते और वहां जो प्लांट लगा हुआ है वह कचरा जलाता है। पॉल्यूशन विभाग के अन्दर रिपोर्ट है मैंने खुद फोन किया है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने उस पर कार्यवाही करने के लिए लिख दिया लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। शाम के समय तो कोई जा नहीं सकता अध्यक्ष जी, ऐसी हालत रहती है जैसे कि कोहरा छाया हुआ हो, इतनी धुंध।

दूसरा, वहां जो शराब बनाने वाली फैक्ट्रीज भी लगी हुई हैं इनके आस-पास इतना बुरा हाल है कि मक्खी और बदबू कोई आदमी बैठ कर आराम से खाना भी नहीं खा सकता तो मेरा तो सीधा सा सवाल है कि इन पर भी आप कार्यवाही करने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, संक्षेप में दीजिये।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो कचरा जलाने की बात रखी, निश्चित रूप से वहां कचरा जलाया जा रहा है और यह भी सही है कि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट द्वारा उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लिखा गया है। आने वाले समय में उसके खिलाफ कार्यवाही भी होगी और जिन शराब इकाइयों के बारे में आपने सदन के माध्यम से मुझे अवगत कराया है आने वाले समय में उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी और रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जे.सी.बी. चला कर वहां से कचरा हटाने का जो आपने आग्रह किया है, उस पर भी विभाग कार्यवाही करेगा।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री ललित मीना।

किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण

392. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण देने के क्या मापदंड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बारां में जनवरी, 2019 से माह जुलाई, 2023 तक कितने किसानों को कितना ऋण वितरण किया गया ? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार खरीफ और रबी की फसल का ऋण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री गोतम कुमार): (1) जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित मानदण्ड अनुसार कृषक की जोत, उसके द्वारा बोई जाने वाली फसलों तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर अल्पकालीन फसली ऋण दिया जाता है।

(2) बारां जिले में बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2019 से जुलाई 2023 तक किसानों को वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की विगत निम्न प्रकार है:-

(राशि रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	ऋणी कृषकों की संख्या	अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की राशि
1.	01.01.2019 से 31.03.2019	414	3.39
2.	2019-20	32310	132.59
3.	2020-21	44127	298.17
4.	2021-22	52468	411.67
5.	2022-23	52022	411.87
6.	2023-24 (1 अप्रैल से 31 जुलाई तक)	45416	209.29

(3) राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक खरीफ हेतु एवं 1 सितम्बर से 31 मार्च तक रबी हेतु अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 01 अप्रैल 2024 से खरीफ का ऋण वितरण जारी है।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे ही पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं जवाब तो आ गया।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। प्रश्न पूछ लें।

श्री ललित मीना (किशनगंज): मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सहकारी समिति में एक किसान को एमसीएल की डेढ़ लाख तक लिमिट है पर वर्तमान में बीस से पच्चीस हजार रुपये उसको लोन दिया जाता है अल्पकालिक तो मेरा निवेदन है कि क्या हम विचार रखते हैं उसको डेढ़ लाख तक का देने का? पिछले पांच साल में तो पूरे राजस्थान में किसी भी काश्तकार को एमसीएल के माध्यम से डेढ़ लाख तक का ऋण दिया नहीं तो अपन अपनी सरकार में विचार रखते हैं क्या? साथ ही, दूसरा मैं पूछना चाहूंगा कि हमारी जो समितियां हैं इनमें जो हमारे व्यवस्थापक हैं उनको दो-दो साल से ऋण नहीं मिल रहा है तो उनको कुछ आर्थिक सहायता देने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है डेढ़ लाख के ऋण के लिए तो हमारे जो बारां जिले में वहां किसानों को 2024-25 में जो माननीय सदस्य ने कहा है डेढ़ लाख का तो 2024-25 में तो 1496 किसानों को और 2023-24 में 2064 किसानों को डेढ़ लाख का ऋण दिया गया है। सरकारी बैंकों द्वारा खरीफ और रबी फसलों के लिए पृथक-पृथक ऋण दिया जाता है। इनको एकमुश्त करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव अभी है नहीं और निश्चित रूप से इसकी साख सीमा लगातार बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं।

Kas/rtm/05.08.2024/12.00/1g

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में मानसून के मौसम में घग्घर नदी में व्यर्थ वह रहे पानी का संरक्षण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री विकास चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), सदस्य की ओर से प्रदेश में राशन डीलरों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. डॉ. शिखा मील बराला, सदस्य की ओर से चौमूं नगर परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री चेतन पटेल कोलाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की नगरपालिका सुल्तानपुर में वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धरियावाद के लसाडिया एवं झलारा में के.जी.के. सोभजी का गुडा, अरावली सरवडी वर्धावन देवलिया एव वेदनाथ कूण प्राईवेट लिमिटेड कम्पनियों द्वारा बड़े पैमाने पर किये जा रहे अवैध खनन एवं परिवहन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुए दीर्घावधि व्यतीत होने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालय के भवन का निर्माण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9. डॉ. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 पर व्याप्त अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से बून्दी जिले के राजकीय चिकित्सालयों की जांच मशीनों के खराब होने से मरीजों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय विद्यालयों का नामकरण शहीदों के नाम से किये जाने हेतु नियमों में बदलाव किये जाने के संबंध में। ....(व्यवधान)...

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

12. श्रीमती अनिता जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

13. श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से जयपुर में संचालित कोचिंग संस्थानों को नवनिर्मित कोचिंग हब में ही संचालित किये जाने के संबंध में।

14. श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ रहे अवैध नशे के कारोबार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

15. श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में वन भूमि पर बसी कोलोनियों को आबादी भूमि में परिवर्तित नहीं किये जाने से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती अनिता जाटव, श्रीमती इन्द्रा, श्री घनश्याम, एवं श्री डूंगरराम गेदर को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

आज 15 की जगह 20 लिये हैं, ताकि ज्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिल सके।

1. श्री ताराचन्द जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर के शहरी क्षेत्र में आने वाली पहाडियों की अवैध कटाई पर प्रतिबंध लगाये जाने के संबंध में।

2. श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर के उपखण्ड मुख्यालय खानपुर में ए.सी.जे.एम एवं ए.डी.जे. कोर्ट कैम्प की स्थापना किये जाने के संबंध में।

3. श्री विद्याधर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में राजकीय योजनाओं हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा व्यावसायिक डी.एल.सी. दर से दिये जाने के संबंध में।

4. श्री हरलाल सहारण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चूरू की विद्युत समस्याओं का समाधान किये जाने के संबंध में।

5. श्री जीवाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचौर में पूर्ववर्ती सरकार के समय फर्जी पट्टों द्वारा जमीन बेचने के प्रकरणों की जांच किये जाने के संबंध में।

6. श्री जयकृष्ण पटेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में अघोषित बिजली कटौती से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

7. श्रीमती शिमला देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में प्रादेशिक किसान पौंग बाँध भूमि के खरीददारों की समस्याओं का निराकरण किये जाने के संबंध में।

8. डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले में पावर प्लान्ट हेतु राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल द्वारा अवाप्त की गई जमीन पर प्लान्ट स्थापित नहीं होने से

जमीन का मालिकाना हक किसानों को दिये जाने के संबंध में।

9. श्री जसवंत सिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के ग्रामीण इलाकों की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाये जाने के संबंध में।

10. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राजसमन्द तहसील की ग्राम पंचायत बामण टुकड़ा के ग्राम खेतों की भागल एवं डावला का पटवार मण्डल करेडा किये जाने के संबंध में।

11. श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा, सदस्य की ओर से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थापित कार्मिको को पुरानी पेन्शन स्कीम का लाभ दिये जाने के संबंध में।

12. श्री प्रताप पुरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पोकरण की क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड नाचना द्वारा किसानों को चना फसल खरीद की बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में।

13. श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य की ओर से आर.जी.एच.एस. योजना में सहकारी संस्थाओं की बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

14. श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के नार्दन बायपास से गुजरने वाले नाले से पानी का निकास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

15. श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से आर.एस.आर.डी.सी. के अधिकारियों की कथित मिलीभगत से गैलेक्सी माईनिंग एण्ड मिनरल्स की समयावधि बिना टेंडर बढाये जाने के संबंध में।

16. श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से राजस्व ग्रामों की सरकारी भूमियां नगरीय विकास न्यासों के नाम दर्ज होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

17. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य की ओर से सरदारशहर में अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (A.D.M.) कार्यालय खोले जाने के संबंध में।

18. श्री अशोक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की नगर पालिका में कनिष्ठ अभियन्ता का पद रिक्त होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

19. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा स्वीकृत कूपों में की गई अनियमितताओं के संबंध में।

20. श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा के कणाऊ एवं कुंजी ग्राम पंचायतों को सिद्धमुख सिंचाई परियोजना की रासलाना वितरिका से पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 05/08/2024 को शून्यकाल में बोलने हेतु 34 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	पर्ची सं.	माननीय सदस्य का नाम	विषय
1	13	श्री शंकर सिंह रावत	फर्जी पट्टो पर बैंको द्वारा दिए गए लोन की वसूली के संबंध में।
2	14	श्री सुभाष मील	सीकर-झुंझुनूं दुग्ध उत्पादक संघ पलसाना में लेबर टेंडर में हो रहे भारी भ्रष्टाचार के संबंध में।
3	8	श्री गोपाल लाल शर्मा	विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में रोडवेज बसों के नहीं चलने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में
4	26	श्री हरिसिंह रावत	जयपुर किशनगढ़ सड़क मार्ग पर आए दिन होने वाले ट्रैफिक जाम से निजात दिलवाने के संबंध में।

Msk/rtm/05.08.24/1210/ 1h

श्रीमती अनीता जाटव।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

हिन्डौन के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती

श्रीमती अनीता जाटव (हिन्डौन): नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया, उसके लिए तहेदिल से धन्यवाद देती हूं। बहु-बहुत धन्यवाद। हिन्डौन के डिंढोरी में स्वीकृत 132 जीएसएस का कार्य बहुत धीमी रफ्तार चल रहा है। कृपया उसका कार्य जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करें। हिन्डौन की सुरोठ तहसील में 33/11 केवी जीएसएस का कार्य अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है।

हिन्डौन विधान सभा क्षेत्र में बिजली कटौती कम कर, ग्रामीण क्षेत्र में कम से 16 से 18 घंटे बिजली दी जाये, क्योंकि लोग बहुत परेशान होते हैं। रात को कट जाती है। खाने के टाइम पर बिजली चली जाती है। फिर रात के 12 या 2 बजे तक लाइट आती है, फिर क्या फायदा होता है? सारे लोग बहुत परेशान हैं, पब्लिक परेशान है। रात को दो बजे फोन करते हैं कि मैडम लाइट अभी तक नहीं आयी है, 11 बजे की गयी हुई है। सर, हिन्डौन विधान सभा क्षेत्र के शहर में आदर्श विद्या मन्दिर के सामने मैं एक 33 केवी जीएसएस के लिए मांग रखती हूं। कृपया करके, हमारी जिन समस्याओं से आपको अवगत कराते हैं, उनका समाधान कराया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो खड़े हैं, श्री प्रताप सिंह जी सिंघवी, श्रीचन्द जी, यह क्या है? दस बार व्यवस्था दे चुका हूं।

श्रीमती अनीता जाटव (हिन्डौन): हिन्डौन में डीपी की कमी है। डीपी नहीं मिल पाती है।

20-25 ट्रांसफार्मर नहीं हैं, हैं तो वे भी कम के हैं। सर, आपको पता है कि बिजली की बहुत जरूरत है। बारिश का मौसम है, लाइट चली जाती है तो खाना-वाना कैसे बनायें? पब्लिक, बच्चे परेशान हैं। छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं। सर, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बिजली की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कराया जाये। डीपी की जो किल्लत है, उसको भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाया जाये। जय हिन्द, जय भारत, राम-राम सा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती इन्द्रा (अनुपस्थित), श्री घनश्याम।

प्रदेश में बढ़ता अवैध नशे का कारोबार

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रदेश में स्मैक और नशीलें पदार्थों की हो रही तस्करी पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे राजस्थान प्रदेश में जिस तरह से स्मैक, हेरोइन, अफीम, गांजा और बहुत सारे ऐसे नशीले पदार्थ हैं, जिनकी तस्करी हो रही है और हमारे प्रदेश का युवा और आने वाली पीढ़ी इसमें आये दिन फंसती जा रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन रहेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि पिछले कई सालों से इनके तस्कर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसमें पुलिस का बड़ा हाथ है। पुलिस महकमा इसमें लिप्त है। आज तस्करी क्यों हो रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि जो बड़े तस्कर हैं, जो 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ लगाकर तस्करी कराते हैं, वे लोग तो इसमें पकड़ में नहीं आते हैं। इसमें एक चैन बनी हुई है, लास्ट में गांव में बैठा हुआ, कस्बे में बैठा हुआ गरीब आदमी करता है तो वह पकड़ में आता है। तो सही मायने में हम इस तस्करी को रोक नहीं पा रहे हैं। उसमें सरकार ने 1985 में एक एक्ट एनडीपीएस एक्ट बनाया। यह एक्ट बहुत प्रभावशाली है, पर इस एक्ट में भी कार्यवाही नहीं हो रही है, उसका कारण यह है कि इसमें पुलिस लिप्त हो जाती है। पुलिस के जो सीआई हैं, थानेदार हैं, वे उन दलालों से मिल जाते हैं। आज इस तरह के बहुत सारे, जैसे हेरोइन है, अफीम है, एक एमडी ड्रग्स अलग, कोकीन, गांजा, डोडा पोस्त, इस तरह के बहुत सारे हैं। हमारे करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर, दौसा जिलों में पूरे गांवों में इस तरह का एक माहौल हो गया है कि 30-35 साल तक बच्चे, सब मरने की कगार पर आ जाते हैं। उनको स्मैक नहीं मिलती है तो वे चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मर्डर करने को तैयार हो जाते हैं। अभी गांवों में कई मर्डर हुए हैं। मर्डर का मुख्य कारण अफीम और तस्करी है।

अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी एक प्रार्थना रहेगी और सरकार से निवेदन रहेगा कि इस पर हम सभी पक्ष-विपक्ष के साथियों को इस बात पर जोर देना चाहिए, इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाएं। इनकी तस्करी का जो मुख्य अड्डा बना हुआ है, या तो कॉलेज के पास है या गरीब परिवार की जो कॉलोनियां हैं, वहां वे लोग बैठते हैं। छोटे-छोटे जो एजेंट बना रखे हैं, उन एजेंटों को यह पता नहीं कि तहसील में कौन बैठता है। तहसील के अध्यक्ष को यह पता नहीं कि जिले में कौन बैठता है?

इस तरह की यह जो चैन है, क्रम है, इसको तोड़ने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी संरक्षण चाहता हूं कि सरकार को आप आदेशित करेंगे कि इस मामले को गंभीरता से लें। जय हिन्द।

श्री अध्यक्षः श्री डूंगर राम गेदर।

सूरतगढ़ में वन भूमि पर बसी कोलोनियों का आबादी भूमि में परिवर्तन

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। यह जो विषय है, यह सूरतगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश का मामला है कि पूरे प्रदेश के अन्दर वन विभाग की जो जमीनें हैं, उनके अन्दर आबादियां बसी हुई हैं। आबादी भी 35-40 सालों से बसी हुई है। उन आबादियों में जो लोग बसे हुए हैं, उनके बिजली पानी के कनेक्शन हैं और बहुत-सी ऐसी जगह हैं, जहां उस जमीन के अन्दर सरकारी स्कूल और सामुदायिक भवन व अस्पताल तक बने हुए हैं। यह इस वजह से बने, क्योंकि वन विभाग ने उस जमीन को नहीं संभाला। वन विभाग ने तार बन्दी नहीं की। वन विभाग के गार्ड वहां नहीं गये। इस वजह से वहां पर आबादी बसी होने की वजह से, बहुत सी जगहों पर पंचायतों ने पट्टे भी दे रखे हैं, लेकिन आज उन ऐसी जगहों को खाली करवाने का काम किया जा रहा है। हमारा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसी जो जगहे हैं, उन वन विभाग की जमीनों को आबादी भूमि में परिवर्तित करके पट्टे देने का काम करें, ताकि जो लोग बसे हुए हैं, उनको उजाड़ा न जा सके और लोग आसानी से अपना जीवनयापन कर सकें, यही निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, सदन में कोई भी कार्यवाही होती है, वह केवल मेरे को सुनाने के लिए नहीं होती। यह सभी की रूचि की बात है, उस समय अति आवश्यक हो तो जरूर आपस में करें, लेकिन लगता है कि हम यहां केवल बात करने के लिए आ रहे हैं। कोई भी सदस्य बोल रहा है, उसको सुनने के मूड में नहीं है। यह स्थिति ठीक नहीं है। सब लोग सब बातें सुनें, पार्टिसिपेट करें। ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। अति आवश्यक हो, जरूर बोलें। बहुत ही आवश्यक हो, तो हां लॉबी, ना लॉबी में जाकर बात करें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): साहब, मंत्रियों के तो चैम्बर हैं।

श्री अध्यक्षः 295, श्री ताराचन्द जैन।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

उदयपुर के शहरी क्षेत्र में आने वाली पहाडियों की अवैध कटाई पर प्रतिबंध

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि उदयपुर शहर की झीलों की सुंदरता एवं पहाडों की सौन्दर्यता के रख रखाव को प्रशासन की अनदेखी व अतिक्रमणों की भरमार से झीलों की वास्तविकता और पहाड़ों की भूमि हिल पॉलिसी, 2018 के अन्तर्गत उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय स्वीकृति जारी की जाती रही। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में सिविल विविध द्वितीय अपील संख्या

19428/2023 एवं डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राज्य सरकार व अन्य में उक्त पॉलिसी पर रोक लगा दी गई थी। उसके बावजूद पहाड़ों की अवैध कंटिग अभी भी की जा रही है। शिकायतों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा 43 पहाड़ियों को चिह्नित किया गया, जो कि मात्र कागजी कार्यवाही कर छोड़ दिया गया व नोटिस जारी कर बेदखली अभी तक नहीं हुई है, न ही अतिक्रमियों को अन्यत्र भूमि पर विस्थापित करने की भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाने से उदयपुर शहर की झीलों की सुंदरता एवं पहाड़ों की सौन्दर्यता लगभग समाप्त होती जा रही है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण में सरकार पूर्ण जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उदयपुर शहर की जनता के हित में पहाड़ों की अवैध कंटिग पर पूर्ण रोक लगाकर अतिक्रमण मुक्त करने की कृपा करावें ।

श्री अध्यक्षः श्री सुरेश गुर्जर।

खानपुर उप खण्ड मुख्यालय पर ए.सी.जे.एम. एवं ए.डी.जे. कोर्ट कैम्प न्यायालय की स्थापना

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर उप खंड मुख्यालय खानपुर में ए.सी.जे.एम. एवं ए.डी.जे. कोर्ट कैम्प न्यायालय की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के संबध में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर की जनता से जुडे एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उपखंड खानपुर जिला झालावाड में वर्तमान में केवल सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय सन 1987 से कार्यरत है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खानपुर में वर्तमान में 4000 रेगुलर फौजदारी प्रकरण, 600 सिविल एवं करीब 1200 से अधिक मुतफरीक प्रकरण जैर विचाराधीन हैं।

उप खंड मुख्यालय खानपुर में एक उप अधीक्षक कार्यालय और तीन थाने आते हैं। यदि तीनों थाने खानपुर, पनवाड और सारोला को मिलाकर वर्ष 2018 मे 765 मुकदमे, 2019 में 951 मुकदमे, 2020 में 938 मुकदमे दर्ज हुए, यह संख्या वर्ष 2023 में 1200 से अधिक आंकी जा रही है। कार्य की अधिकता होने और क्षेत्राधिकार के चलते आमजन को न्याय मिलने में समय लगता है। क्षेत्र की जनता सहित अधिवक्तागण लंबे समय से ए.सी.जे.एम. एवं ए.डी.जे. कोर्ट कैम्प की स्थापना के लिये मांग कर रहे है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि खानपुर में ए.सी.जे.एम. कोर्ट एवं ए.डी.जे. कोर्ट कैम्प की स्थापना की जाये।

mdp/rtm/05.08.2024/12:20/1j

श्री अध्यक्षः श्री विद्याधर सिंह।

फुलेरा में अवास भूमि के मुआवजे की व्यावसायिक डीएलसी दर पर प्रदायगी

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): धन्यवाद, अध्यक्ष जी, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव में आपने मुझे मौका दिया।

महोदय, जी, केन्द्र सरकार कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Concore) द्वारा लॉजिस्टिक हब के विकास हेतु लोक प्रयोजन के लिए विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्राम सामलपुरा, श्योसिंहपुरा, कन्देवली एवं शार्दुलपुरा तह. फुलेरा जिला जयपुर ग्रामीण में कुल रकबा 116.387 भूमि की अधिग्रहण करना चाहती है। केन्द्र सरकार के द्वारा विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किसानों की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का मुआवजा राशि/अवाप्त मूल्य व्यावसायिक भूमि के आधार पर नहीं दिया जा रहा है। फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Concore) एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जो उक्त भूमि का उपयोग अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करेगा।

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में अवाप्त की जा रही कृषि भूमि परियोजनार्थ की डीएलसी रेट में काफी अंतर है। कृषि भूमि की डीएलसी रेड प्रति बीघा करीब 10 लाख रुपये है और व्यावसायिक भूमि की डीएलसी रेट 50 लाख रूपये प्रति बीघा है। अवाप्त की जा रही भूमि में किसानों के कुएं, बोरिंग, पाइप लाइन, पेड़-पौधो का मुआवजा सरकार द्वारा नही दिया जा रहा है। अवाप्त की जा रही भूमि फुलेरा नगरपालिका क्षेत्र की पेरिफेरी में आती है, एवं स्टेट हाईवे 57 पर स्थित है। अवाप्त की जा रही भूमि के समीप पुरातत्व विभाग नलियासर सभ्यता सांभर झील पर्यटन स्थल के नजदीक है। अवाप्त की जा रही भूमि का मुआवजा (प्रतिकार) पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 11 की उपधारा (1) के प्रावधानान्तर्गत के अनुसार किया जा रहा है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में यह प्रावधान है कि अवाप्त की जा रही भूमि के भू-स्वामियों में से 80 प्रतिशत की सहमति होना आवश्यक है, नहीं तो यह भूमि अधिग्रहण नहीं की जा सकती है।

अतः मेरा माननीय राजस्व एवं वित्त विभाग मंत्री महोदय से निवेदन है कि कि उक्त भूमि-स्वामियों की अवाप्त भूमि का मुआवजा व्यावसायिक डीएलसी रेट के अनुसार दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री हरलाल सहारण।

चूरू में विद्युत समस्याओं का समाधान

श्री हरलाल सहारण (चूरू): अध्यक्ष महोदय, 295 पर मुझको बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरे विधान सभा क्षेत्र चूरू में वर्तमान में भयंकर बिजली की समस्या है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम द्वारा मांग तथा आपूर्ति में अंतर तथा 132 केवी जीएसएस, चूरू में ओवरलोड को बताते हुए अक्सर बिजली कटौती की जाती है। इसके साथ ही सीमित क्षमता के ट्रांसफार्मर एवं आवश्यक सामग्री की कमी के कारण पावर सप्लाई उचित प्रकार से नहीं होती

है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली कांग्रेस सरकार के समय से अनेकों घरेलू व कृषि कनेक्शन लंबित हैं। उक्त लंबित कनेक्शनों को शीघ्र ही पूर्ण दिया जाए।

वर्ष 2019 से पूर्व आवेदित ढाणियों के कनेक्शन आरडीएसएस योजनांतर्गत जारी किए जा रहे थे। वर्ष 2019 के बाद कांग्रेस सरकार के समय से आवेदित ढाणियों में विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु कोई योजना नहीं है। चूरू विधान सभा क्षेत्र में मार्च 2019 के पश्चात् लगभग 8224 आवेदन/सहमति पत्र प्राप्त हुए हैं। उक्त सभी आवेदित ढाणियों में कनेक्शन स्वीकृति अत्यावश्यक है। इसके साथ ही 33 केवी सब-स्टेशन, नाकरासर और ढाढरिया की मांग भी मेरे द्वारा की गई है, जिससे मेरे क्षेत्र में बिजली की समस्या से निजात मिल सकेगा।

पिछली कांग्रेस सरकार के लंबित बिजली कनेक्शनों में मेरे निर्वाचन क्षेत्र चूरू में लगभग 560 घरेलू कनेक्शन जारी किए गए थे, जिनमें से 437 कनेक्शन सामान की अनुपलब्धता के कारण आज भी लंबित हैं, को स्वीकृत करवाया जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री जीवाराम चौधरी। श्री जयकृष्ण पटेल।

बागीदोरा में अघोषित बिजली कटौती

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश व विधान सभा क्षेत्र, बागीदोरा में अघोषित बिजली कटौती से आम-जन एवं ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिन व रात में कई घंटों तक की बिजली गुल रहती है। संपूर्ण रात्रिकाल में उक्त कटौती से आम नागरिकों को काफी परेशानियां झेलनी पडती हैं। यही नहीं प्रातः के समय बिजली गुल रहने से पानी की भी विकट समस्या खड़ी हो जाती है। उल्लेखनीय यह है कि कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता अपनी मन-मर्जी से एवं बिना कोई सूचना प्रेषित कर, उक्त क्षेत्र की बिजली कटौती करते हैं तथा ठेके पर लगे संविदा कार्मिक न किसी अधिकारी से डरते हैं और न ही जनता के प्रति जिम्मेदारियों से कार्य करते हैं। या तो इनको हटाया जावे या इनको स्थाई किया जावे, ताकि बिजली के बार-बार जाने से जनता को बिजली की समस्याओं से निजात मिले एवं कृषकों एवं आम नागरिकों के स्थापित मीटर पर से बिना कोई रीडिंग किये बिजली के बिल अपनी मनमर्जी से विभाग द्वारा भेजे जा रहे हैं। अतः मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त समस्याओं का कोई ठोस रूप से हल निकालने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्रीमती शिमला देवी।

प्रादेशिक किसान पोंग बांध भूमि के खरीददारों की समस्याओं का निराकरण

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधान सभा के

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। प्रादेशिक किसान पोंग बांध भूमि (निम्न 6ए के प्रभावित) खरीददार समिति अनूपगढ़ की समस्याओं के समाधान के संबंध में।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रादेशिक किसान पोंग बांध भूमि (निम्न 6ए के प्रभावित) खरीददार समिति अनूपगढ़ की समस्याओं की ओर आपका विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि प्रकरण में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश पोंग बांध विस्थापित समिति बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य सिविल रिट पिटिशन 439/1992 के क्रम में हाई पॉवर कमेटी का गठन किया था, जिसने केंद्रीय जल संसाधन सचिव को अध्यक्ष एवं राजस्थान व हिमाचल प्रदेश सरकारों में जल संसाधन सचिवों को सदस्य बनाया गया। हाई पॉवर कमेटी द्वारा मैत्रीपूर्ण हल निकालने के उद्देश्य से दिनांक 26.07.1996, 18.09.2008 एवं 24.02.2014 को बैठकें की गई। बैठकों में विस्थापितों को उनका वाजिब हक मिलने एवं सद्भावी खरीददार काश्तकारों को उनके द्वारा खरीदशुदा मुरब्बों पर बने रहने का निर्णय हुआ, जो कि मीटिंग मिनट्स में दर्ज हैं। यह उल्लेख है कि स्थानीय काश्तकारों द्वारा पहले पौंग बांध विस्थापितों से भूमि खरीद करने का सौदा किया। उन्हें सौदा की रकम अदा की गई। आवंटन के समय सभी मुरब्बे बंजर थे, जिन्हें कड़ी मेहनत कर एवं धन खर्च कर धीरे-धीरे काबिल काश्त बनाकर इन्हें विकसित किया, लेकिन निर्णय हुए 28 वर्ष उपरांत भी खरीददार काश्तकारों को अभी तक खरीदशुदा कृषि भूमि का मालिकाना हक नहीं मिला है। जिससे वे सरकारी योजनाओं से भी वंचित हैं। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि 1188 मुरब्बा की कृषि भूमि को Denotified करने की कार्यवाही कर संबंधित खरीददार काश्तकारों को मालिकाना हक के पट्टे दिए जायेंगे। अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में कानूनी सलाह लेकर प्रभावित खरीददार काश्तकारों को उक्त भूमि का मालिकाना हक दिया जावे। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्षः नहीं, अगली बार जरूर दूंगा। डा. प्रियंका चौधरी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माफी मांगता हूं।

श्री अध्यक्षः माफी मांग रहे हैं। अगली बार दूंगा। विराजिए। डा. प्रियंका चौधरी। मुझे जानकारी है कब देना है। आप तो बोलिए। You go on.

बाड़मेर में पावर प्लान्ट की स्थापना के अभाव में अवाप्त भूमि का किसानों को पुनः प्रेषण

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के तहत आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद।

जिला बाडमेर में राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल (आरएसएमएम) ने वर्ष 2015 में बाड़मेर जिले के शिवकर, महाबार, आदर्श आगोर, एवं बाड़मेर आगोर में लिग्नाइट कोयला

निकालने के लिए 4047 बीघा जमीन अवाप्त कर किसानों को अवाप्ति के लिए अंतिम अवार्ड 450 करोड़ राशि का जुलाई 2015 में जारी कर दिया। यह राशि 4000 किसानों को जमीन के बदले मिलनी थी। कोयले के लिए जमीन अवाप्ति के दौरान शर्त थी कि इससे ऊर्जा उत्पादन के लिए एक पावर प्लांट स्थापित करना आवश्यक था। इसके लिए सरकार एवं विभाग ने प्रयास भी किए लेकिन गिरल प्लांट फेल होने की स्थिति में कोई निजी कंपनी आगे नहीं आई, जिस कारण प्रचुर मात्रा में लिग्नाइट कोयला होने के उपरान्त भी उक्त पावर प्लांट स्थापित नहीं हुआ तो 02 वर्ष के लम्बे इतजार के बाद 2017 में इस अवार्ड को रद्द कर दिया और किसानों की जमीन लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद भी आज दिनांक तक किसानों की जमीन अवाप्ति से मुक्त नहीं हो पाई हैं। किसान 09 साल से इंतजार कर रहे हैं। मानवाधिकार अयोग का फैसला होने के बावजूद भी अभी तक सरकार के द्वारा किसानों की जमीन अवाप्ति से मुक्त नहीं की गई है। जमीन अवाप्ति से मुक्त नहीं होने के कारण किसानों को खुद की जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, जिस कारण किसान न तो रजिस्ट्री करवा पा रहे हैं तथा न ही म्युटेशन भरा जा रहा है तथा न ही कोई दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट स्थापित हो सकता है। दूसरी तरफ उक्त गांव बाड़मेर शहर से सटे होने के कारण इन गांवों में अवैध तरीके से कॉलोनियों का विस्तार स्टांप के जरिये हो रहा है, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस प्रकार किसानों को न तो पैसा मिला न ही अवाप्त की गई भूमि का मालिकाना हक, इस कारण किसानों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली किसी भी योजना का लाभ मिल पा रहा है।

मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री से आग्रह है कि 09 साल से इंतजार कर रहे किसानों को उनकी अवाप्त की गई जमीन का मालिकाना हक दिलवाया जाये, जिससे किसान उक्त जमीन को बेच एवं खरीद सके तथा सरकार को भी राजस्व का नुकसान नहीं हो। धन्यवाद।

Ans/rtm 12.30 1k 05.08.2024

श्री अध्यक्ष: श्री जसवन्त सिंह गुर्जर।

बाड़ी के ग्रामीण इलाक़ों की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र, बाड़ी में ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें जो आज से तकरीबन 15 साल पूर्व बनी हुई थी, आज उन पर वाहन तो दूर, पैदल चलना भी दुष्वार हो गया है। ऐसे ही बाडी-सैपऊ रोड के गांव लखेपुरा एवं पुरा उलावटी तथा आठ मील से बसई डांग रोड के गांव बरीपुरा मुगलपुरा, बरेंड, झोर, सायपुर के साथ-साथ नगर पालिका क्षेत्र, बाडी की समस्त सड़कें जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हैं।

मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त जर्जर एव क्षतिग्रस्त सड़कों को नवीन रूप से निर्माण कराये जाने की कृपा करें। साथ ही अभी हाल ही में समस्त विधान

सभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये से सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा सड़कों का प्रस्ताव मांगा गया था, जिसकी निविदा प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। उक्त संदर्भ में पुनः निवेदन है कि निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत 25 प्रतिशत ब्लो राशि की निविदा हुई है। इसके अलावा इस निविदा प्रक्रिया में जीएसटी के अलाबा कई अन्य टैक्स लगेंगे, तो संबंधित संवेदक इतने ब्लो निविदा प्रक्रिया में क्या गुणवत्ता पूर्ण सड़क बना सकेगा।

अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि संवेदक द्वारा 25 प्रतिशत ब्लो निविदा डालने पर संवेदक से उक्त कार्य की परफोरमेंस गारंटी ली जावे, जिससे गुणवत्तापूर्ण रूप से सड़क बन सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

बामण टुकड़ा ग्राम पंचायत (राजसमन्द) के कतिपय ग्रामों का पटवार मण्डल करेड़ा किया जाना

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि राजसमन्द तहसील की ग्राम पंचायत बामण टुकड़ा के ग्राम खेतों की भागल और डाबला का पटवार वृत आमेट तहसील के होने से आईडाणा में होने से ग्रामीणों को रही समस्याओं के प्रति राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के सम्बन्ध में निवेदन है।

महोदय, मैं निम्न अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

राजसमन्द तहसील की ग्राम पंचायत बामण टुंकडा के राजस्व ग्राम खेतों की भागल और डाबला का पटवार वृत मुख्यालय आमेट तहसील के आईडाणा पटवार वृत को बना रखा है। राजसमन्द तहसील के गाँवों का पटवार मण्डल आमेट तहसील का होने के कारण ग्रामवासियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

सदन के पूर्व विधायक स्व. श्रीमती किरण माहेश्वरी के इस संबंध में पूछे गए तारांकित प्रश्न का 2 मार्च 2020 को उत्तर देते हुए तत्कालीन राजस्व मंत्री ने कहा था कि ग्रामीणों की सुविधा एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार राजस्व एवं प्रशासनिक सीमाएं समान रखने के पक्ष में है। उन्होंने खेतों की भागल और डाबला का पटवार वृत परिवर्तित करने पर सहमति जताई थी।

जिला कलक्टर राजसमन्द ने पत्र दिनांक 01-06-2015 द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर को राजस्व ग्राम खेतों की भागल और डाबला का पटवार मण्डल आमेट तहसील के आईडाणा से हटा कर राजसमन्द तहसील के करेड़ा को करने का प्रस्ताव प्रेषित किया था। ग्रामवासी इन परिवर्तनों की लम्बे समय से मांग कर रहे हैं।

मैं राज्य सरकार से इन दोनों गाँवों का पटवार मण्डल राजसमन्द तहसील के करेड़ा ग्राम को कर ग्रामवासियों को राहत प्रदान करने का अनुरोध कर रही हूँ।

श्री अध्यक्षः श्री सी.एल. प्रेमी।

चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों को पुरानी पेन्शन स्कीम का लाभ

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आमजन के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खोला गया है।

इन कॉलेजों में पदस्थापित लोकसेवकों के परिवार को सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग को ध्यान रखते हुए, इन कॉलेजों में पदस्थापित लोकसेवकों को OPS (Old Pension Scheme) का परिलाभ दिये जाने का आदेश किया गया, परन्तु इन कॉलेजों में पदस्थापित लोक सेवकों को आज दिनांक तक लाभ नहीं मिला है।

वर्तमान सरकार द्वारा अपनी बजट घोषणा में इन कॉलेजों में पदस्थापित लोकसेवकों पर RSR/ राजस्थान मेडिकल शिक्षा नियम 1962 से शासित किए जाने का निर्णय लिया गया, परन्तु राज सरकार के आदेश दिनांक 15 जुलाई, 2024 अनुसार नव पदस्थापित लोकसेवकों पर नियम लागू होगा जबकि गत 5-7 वर्ष से पदस्थापित मेडिकल कॉलेज शिक्षकों/लोक सेवकों इस परिलाभ से वंचित किया गया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान के जिला मुख्यालय पर स्थित मेडिकल कॉलेज शिक्षक दिनांक 22 जुलाई, 2024 से सामूहिक अवकाश पर है ,जिसके कारण निम्न प्रभाव स्पष्ट परिरक्षित हो रहे हैं।

1. इन मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्णतया बिगड़/चरमरा गई है अर्थात रोगियों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है एवं ना ही योग्य मेडिकल शिक्षकों का लाभ उठा पा रहे हैं।

2. इन मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा भी बाधित हो रही है।

3. इन मेडिकल कॉलेज में शिक्षक नहीं होने से NMC द्वारा दी गई मान्यता एवं आगामी सत्र में मेडिकल सीट छात्रों की संख्या प्रभावित होना स्वाभाविक है।

जिला स्तर पर संचालित मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था सुचारु रखे जाने हेतु इन मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों को प्राथमिकता से बजट घोषणा अनुसार RSR/राजस्थान मेडिकल शिक्षा नियम 1962 का परिलाभ दिया जाये, ताकि प्रदेश के आमजन को यथासमय उचित उपचार मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री महंत प्रतापपुरी। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इस पर ताली क्यों बजा रहे हो। 295 है।

श्री अध्यक्ष: आप तो बोलो। आपका काम आप करिये, इनका काम यह करेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जूली साहब, आप भी बजा दो।

श्री अध्यक्ष: इनका काम ये करेंगे। सब अपना-अपना काम करेंगे। मेरा काम मैं कर रहा हूं। लिखा हुआ ही पढ़ना है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): लिखा हुआ ही पढ़ रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मुझे बोलने नहीं देते, क्या चक्कर है यह? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः केवल परीक्षाओं में होता है कि कोई और लिखे, लेकिन पढ़ने पर तो स्वयं ही पढ़ना पड़ता है। ...(व्यवधान)... आप शुरू करो ना। मैं अगला नाम पुकारूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह परीक्षा में दूसरा लिखने वाला तो बड़ा इश्यू बन गया साहब।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): आपके टाइम में ऐसे ही होता था।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने कह दिया, परीक्षाओं में दूसरा लिख सकता है, कैसे लिखेगा।

श्री अध्यक्षः जिसके बीमारी होती है तो अनुमतिमिलती है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अच्छा।

श्री अध्यक्षः शुरू करिए।

आर.जी.एच.एस. योजना में सहकारी संस्थाओं की बकाया राशि के भुगतान का अभाव

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत RGHS योजना में निजी दवा विक्रेता सम्मिलित करने से सहकारी संस्थाओं का भुगतान नहीं होने के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न स्थिति के संबंध में निवेदन है कि RGHS से पूर्व में R.P.M.F योजना लागू थी जिसमें राज्य सरकार के पेंशनर्स इस योजना के अंतर्गत आते थे। राज्य के सभी पेंशनर्स राज्य की सभी सहकारी संस्थाओं द्वारा दवाई लेने के लिए प्रतिबंधित थे। पेंशनर्स को सहकारी संस्थाओं द्वारा दवाईयों का स्टॉक नहीं होने पर भी संस्था द्वारा उक्त पेंशनर्स को NOC जारी की जाती थी। पेंशनर्स उक्त NOC के द्वारा बाजार से दवाई खरीद कर कोष कार्यालय में पुनःभरण हेतु बिल प्रस्तुत किया करता था। और कोष कार्यालय द्वारा पेंशनर्स एवं सहकारी संस्थाओं के बिल पुनःभरण के लिए दिये जाते थे। उन बिलों का पुनःभरण कोष कार्यालय द्वारा समय पर किया जाता था, जिससे सहकारी संस्थाओं को फण्ड की समस्या नहीं आती थी।

VPS-RTM-05.08.2024-12.40-1I

माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन राज्य सरकार ने, आपकी सरकार ने ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप नवम्बर, 2021 से, यह बोलो। यह 'आपकी सरकार ने' नहीं लिखा है इसमें। आप पढ़ो। यह बाद में बोल लेना, आप पहले यह पढ़ तो लो। नहीं तो फिर कई बार पढ़ा हुआ मान लिया जाये, ऐसा तो नहीं है? ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): नवम्बर, 2021 से RGHS (राजस्थान गवर्नमेन्ट

हेल्थ स्कीम) नाम की योजना चालू की गयी थी और उसकी गाइड लाइन जारी की गई। जिसमें सहकारी संस्थाओं के साथ-साथ निजी मेडिकल स्टोर को भी इस योजना में शामिल किया गया है जो कि अनुचित था। पूर्व में सहकारी संस्थाओं द्वारा इस कार्य को निष्ठापूर्ण एवं ईमानदारी से निर्वहन किया जा रहा था और राज्य सरकार को कम बजट में R.P.M.F. योजना को सभी सहकारी संस्थाएँ चला रही थीं।

RGHS योजना नवम्बर, 2021 से अगस्त, 2023 के बीच सभी सहकारी संस्थाओं की लगभग 120 करोड़ रुपये बाकी चल रहे हैं जबकि निजी मेडिकल स्टोर एवं निजी अस्पतालों का उक्त समय का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इसमें आगे नहीं बोलना है। इसमें आगे- 'सहकारी', यह बोलिये जो लिखा हुआ है। इसमें 'अध्यक्ष महोदय' भी नहीं लिखा है। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सहकारी संस्थाओं का भुगतान नहीं होने के कारण संस्थाएं बैंक से ऋण लेकर खरीद का भुगतान कर रही हैं जिससे संस्थाओं को अनावश्यक ब्याज देना पड़ रहा है। सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति खराब हो रही है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि उक्त विषय पर गंभीरता से विचार सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए उनका भुगतान समय पर किया जाये व बकाया का भुगतान भी किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। कल्पना देवी।

लाडपुरा के नार्दन बाईपास पर नाले से पानी के निकास का अभाव

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

महोदय, उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में नॉर्दन बाईपास से होकर एक गहरा नाला गुजर रहा है। नगर विकास न्यास ने नॉर्दन बाईपास पर छोटा मौखा बनाकर नाले के पानी का निकास दिया हुआ है। मौखा छोटा होने से एवं रोड की ऊंचाई काफी अधिक होने के कारण बरसात के समय यहां भारी मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है। आउटलेट छोटा होने के कारण पानी उसमें से न जाकर खेतों के रास्ते होते हुए ऑवर फ्लो हो जाता है और रोड के ऊपर दो-दो फीट पानी की चादर चल जाती है जिसके कारण रोड के दूसरी ओर स्थित खेतों में पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि क्षेत्रवासी के घरों में पानी भरने का खतरा हो जाता है। गत 2 वर्ष पूर्व भी बारिश का पानी खेतों के रास्ते होते हुए रोड पर आ गया था, रोड पर पानी आ जाने से वहां यातायात बन्द हो गया था और आसपास के गांवों में बाढ़ एवं डूब की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिस पर जान एवं माल बचाने के लिये विभाग ने रोड काटकर पानी का निकास किया था। मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से इस संबंध में बात की गयी तो उन्होंने मुझे छोटे मौखे की

जगह बड़ा मौखा बनाकर ही काटे गये रोड का निर्माण करने हेतु अवगत कराया था, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, किन्तु विभाग द्वारा मौखे को बड़ा किये बिना ही काटे गये बाईपास का निर्माण कर दिया गया और अगले साल बारिश के समय दुबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। इसके कारण क्षेत्रवासियों को बार बार इस समस्या से परेशानी का सामना करना पड़ा।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के नार्दन बाईपास से गुजर रहे नाले पर बने छोटे मौखे की जगह बड़े मौखे का निर्माण करवाने का श्रम कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

आर.एस.आर.डी.सी. के अधिकारियों की कथित मिलीभगत से गैलेक्सी माईनिंग एण्ड मिनरल्स के अनुबन्धों की बिना टेंडरों के समायावधि में बढ़ोतरी

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में गैलेक्सी माइनिंग एवं मिनरल्स के नाम से आर.एस.आर.डी.सी. में लगभग 20 से 25 टोल चल रहे हैं जिनमें कई टोल वार्षिक एग्रीमेंट पर है और कई लेबर कॉन्ट्रेक्ट पर हैं। प्रदेश में कोटपूतली से कुचामन, भरतपुर से अलवर, वैर से भुसावर, नदबई टोल संचालित है। इसके अलावा प्रदेश में यही फर्म 20 से 25 टोल चला रही है। यह सभी टोल लगभग विगत चार पांच वर्ष से निरंतर यहीं फर्म चला रही है। आर.एस.आर.डी.सी. के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से सभी टोल बिना टेन्डर किए समय अवधि बढ़ाई जा रही है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। यह फर्म आरएसआरडीसी के उच्च अधिकारियों से मिलीभगत कर गलत एपीसी (एनुअल पोटेन्शियल कलेक्शन) रिपोर्ट बनाते हैं तथा टेन्डर को ऐसी बड़ी राशि पर निकालते हैं जिससे कि कोई दूसरी फर्म इन टेन्डरों में भाग ले न सके, जिससे यही फर्म इस टोल संग्रहण के ठेके को वापस उसी रेट से पांच से सात प्रतिशत बढ़ाकर समयावधि बढ़वा लेती है। इससे साफ प्रतीत होता है कि आर.एस.आर.डी.सी. में उच्च अधिकारी एवं इस फर्म की सांठगांठ से सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है।

निवेदन है कि प्रदेश में गैलेक्सी माईनिंग एवं मिनरल्स के नाम से चलाए जा रहे सभी टोल संग्रहण ठेके में हो रहे भ्रष्टाचार की प्रवर्तन निदेशालय या एसओजी से निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः हो गया। श्री जुबेर खान।

राजस्व ग्रामों की सरकारी भूमियां नगरीय विकास न्यासों के नाम दर्ज होने से आमजन को कारित परेशानी

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राजस्व गांव

...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः इसमें जो लिखा है। आगे पढ़िये- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हां। जो प्रस्ताव ग्राम-नगरीय विकास न्यासों की पेरिफेरी में सम्मिलित किए गए हैं, उन राजस्व ग्रामों की सरकारी भूमियां स्थानीय ग्राम पंचायतों के स्थान पर रिकॉर्ड में नगरीय विकास न्यासों के नाम दर्ज कर दी है। इससे जिन ग्रामों में सरकारी भूमियों सिवाय चक/चरागाह इत्यादि पर सरकारी विद्यालय, अन्य सरकारी कार्यालय खेल मैदान, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, श्मशान घाट, कब्रिस्तान इत्यादि बने हुए हैं, लंबे समय से। उनके शेड बने हुए हैं, चारदीवारियां बनी हुई हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः इसके आगे 'क्योंकि अब' है। जो मेरे पास आया है उसमें तो नहीं है चारदीवारी का। उसमें तो- 'श्मशान घाट, कब्रिस्तान इत्यादि बने हुए हैं, लंबे समय से।' और आगे फिर- 'क्योंकि' से है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नम्बर डला हुआ है, यही से लिया है, सर।

श्री अध्यक्षः आपने यहां से दे दिया। चलो आप बोलो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तो अब यह रिकॉड पर है क्योंकि यू.आई.टी. के नाम चढ़ गये हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः नहीं, इसमें जो लिखा है, वही पढ़ना है। माननीय, आपको बोला है न।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्योंकि अब रिकॉर्ड में यह भूमियां नगरीय विकास संस्थाओं के नाम होने के कारण इन सरकारी भवनों एवं अन्य उपयोगी कार्यों पर विकास नहीं हो पा रहा है। एम.एल.ए. कोटे का पैसा नहीं लग पा रहा है। एम.पी. कोटे का पैसा नहीं लग पा रहा है।

श्री अध्यक्षः यह इसमें नहीं लिखा है। एम.एल.ए. कोटे वाला कुछ भी नहीं लिखा है। आप यह कौनसा पढ़ रहे हो? आप यह ले जाओ भले ही। यहां से निकाल लो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मुझे तो यहां से दिया है, जो पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्षः कोई अलग दिया है क्या? चैक करें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जो लिखा हुआ है वह ही पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्षः 'एम.एल.ए., एम.पी. का कोटा' यह शब्द ही नहीं है इसमें। इसमें यह कोई शब्द हो तो बता दो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 26.07.2024 को 8 बजकर 20 मिनट (पी.एम.) को यह दिया है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी उम्र ज्यादा हो गयी। ...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो लाइनें और हैं।

श्री अध्यक्षः ये वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं। आप विराजिये। आप बोलो, आप तो अपना पूरा करो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वह ही तो है, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: पेरिफेरी एवं विकास में बाधा आ रही है। माननीय, आप मदद कर दो इनकी। यह ले जाओ और इनकी मदद कर दो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वह ही है, 8.20 पी.एम., 26.07.2024 को दिया है। बचा हुआ पढ़ लूं? वह ही है, सेम है।

श्री अध्यक्ष: 'एम.एल.ए., एम.पी. कोटा' इसमें नहीं है तो फिर क्यों बोल रहे हो?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): चलो, एम.पी. कोटा नहीं है लेकिन कोई भी पैसा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इसमें जो अक्षरशः लिखा है, वह ही पढ़ना है। अगले में वक्तव्य होगा, भाषण करवाएंगे आपका।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हां। इसमें लिखा है कि कोटा का पैसा भी नहीं लग रहा है क्योंकि यू.आई.टी. एन.ओ.सी. नहीं दे रही है। जिला परिषद ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इसमें यह कहां पर लिखा है? आप इसको देख कर पढ़ो। हां।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्योंकि अब रिकॉर्ड में यह भूमियां नगरीय विकास संस्थाओं के नाम होने के कारण इन सरकारी भवनों एवं अन्य उपयोगी कार्यों पर विकास नहीं हो पा रहा है। यह संस्थाएं अनापत्ति नहीं देती है। इससे इन पेरिफेरी राजस्व ग्रामों के विकास में बाधाएं आ रही हैं।

अतः इस विषय के संबंध में मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन नगरीय विकास न्यासों को निर्देशित करें कि इस समस्या का शीघ्रातिशीघ्र निवारण करें।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री अनिल कुमार शर्मा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

Ssy/Rtm/05.08.24/12.50/1m

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री अनिल कुमार शर्मा। श्री अनिल कुमार शर्मा। बैठिये। माननीय सदस्य, यह 295 है। आप तो शुरू करो। यह 295 है। आप मेरे से सीनियर हैं।

सरदारशहर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (A.D.M.) कार्यालय की स्थापना

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत राज्य सरकार और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र की आबादी करीब पांच लाख है। जिसके अधीन करीब 210 गांव और दो तहसील क्षेत्र सरदारशहर एवं भानीपुरा आते हैं।

वर्तमान में चूरू जिले में राजस्व सम्बन्धी सर्वाधिक वाद सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में

ही लम्बित हैं। इन प्रकरणों में संबंधित पक्षकारों को विभिन्न निर्णयों हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू के यहां अपील करनी पड़ती है। सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र की दोनों तहसीलों के परिवादियों को उक्त सम्बन्ध में अपील, सुनवाई, तामील, प्रशासनिक कार्य इत्यादि की विभिन्न कार्यवाहियों हेतु बार-बार जिला मुख्यालय चूरू के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा जन सामान्य को अपनी विभिन्न मांगों के लिए भी समय-समय पर अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर का क्षेत्रफल लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें अंतिम छोर के गांव की दूरी जिला मुख्यालय से लगभग 100-120 किलोमीटर तक पड़ती है। इन सभी परिस्थितियों के चलते हर छोटे-बड़े काम के लिए आम आदमी का जिला मुख्यालय चूरू तक बार-बार आवागमन करना शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से काफी नुकसानदायक रहता है। एक आम आदमी, मजदूरी पेशा, किसान, गरीब व्यक्ति के लिए यह काफी कष्टदायक होता है।

अतः मैं नियम 295 के तहत आपके माध्यम से राज्य सरकार और माननीय मंत्रीजी से सरदारशहर में अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) कार्यालय खोले जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री अशोक। श्री अशोक। (अनुपस्थित) श्री श्रवण कुमार।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा स्वीकृत कूपों में की गई अनियमितताएं

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि पीएचईडी विभाग के एईन द्वारा 2023 में 5 कूप दुभोली खुर्द में स्वीकृत हुए थे। प्रार्थी नोरल लाल गुर्जर हाईकोर्ट से स्थगन लेकर आ गया। बाद में नवम्बर, 2023 में एक्सईएन से सांठगांठ कर उनके निवास पर एक स्वयं का कूप खोद लिया और जब कनेक्शन की बात कही, तब उन्होंने 4 सरकारी कूओं पर कनेक्शन करवा दिया। एक प्राईवेट निजी कूप में करवा दिया, जबकि एक सरकारी कूप वंचित रह गया।

अतः सरकार से निवेदन है कि उक्त अनियमितता करने वाले अधिकारियों को दण्डित करे। सरकारी कुए जो ठेकेदार के द्वारा बनाएं गए हैं, उसमें कनेक्शन करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्षः आप बैठें। श्री संजीव कुमार।

कणाऊ एवं कुंजी ग्राम पंचायतों (भादरा) को सिद्धमुख सिंचाई परियोजना की रासलाना वितरिका से पेयजल की उपलब्धता

श्री संजीव कुमार (भादरा)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुंजी एवं कणाऊ के कुल 8 राजस्व ग्राम क्रमशः कणाऊ, नुवां, कूंजी, घोटड़ा पट्टा, घोटड़ा खालसा, घोटड़ा मुण्डेरना, किकराली एवं रामपुरा को वर्तमान में आपणी योजना से

पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। इन गांवो को साहवा मुख्यालय पर बने पम्प हाउस से पानी सप्लाई की जाती है। उक्त पम्प हाउस का सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड़ तारानगर, जिला चूरू के अधीन आता है।

विगत 2-3 वर्षों में इन गांवो में पेयजल की भारी समस्या रही है। प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में इन गांवो के नागरिकों द्वारा बार-बार पेयजल की समस्या होने पर विरोध प्रकट किया जाता है। वर्तमान में सिद्वमुख नहर की रासलाना वितरिका में जल संसाधन विभाग द्वारा रेग्युलेशन से पानी प्रवाहित किया जाता है। उक्त दोनो ग्राम पंचायतों की पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नुवां ग्राम के सबसे नजदीक घेऊ ग्राम से रासलाना वितरिका पर बने नये सतही पेयजल स्त्रोत का निर्माण करने से उक्त दोनो पंचायतों के सभी आठों गांव मे पेयजल की व्यवस्था की जाये तो इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या नही रहेगी।

उक्त पेयजल स्त्रोत के निर्माण से आठों गांवो पर प्रशासनिक नियंत्रण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड़ तारानगर, जिला चूरू के स्थान पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड़ भादरा, जिला हनुमानगढ़ द्वारा किया जा सकेगा जो कि न्याय संगत एवं प्रभावी रहेगा।

अतः अतिशीघ्र कणाऊ एवं कुंजी ग्राम पंचायत के आठों गांव के लिए सिद्वमुख सिंचाई परियोजना की रासलाना वितरिका पर घेऊ ग्राम के नजदीक पेयजल स्त्रोत का निर्माण कार्य करवाया जाना अति आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष: श्री जीवाराम।

सांचौर में पूर्ववर्ती सरकार के समय फर्जी पट्टों द्वारा
जमीन बेचने के प्रकरणों की जांच

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर, जिला सांचौर के शहर सांचौर में पिछली कांग्रेस सरकार के समय दिनांक जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 31.12.23 तक निम्न लिखित स्थानों पर करोड़ों रुपये के जमीन फर्जी पट्टे बनवाकर लोगों को बेच दिये-

(1) काजी हाउस की बी. ढाणी रोड सांचौर।

(2) सिंचाई विभाग (नर्मदा परियोजना) की जमीन जो कि पीएचईडी कार्यालय के पास नेशनल हाईवे के पास है।

(3) हवाई पट्टी की जमीन जो कॉलेज और स्टेडियम के लिए आरक्षित थी, उसमें से भी निजी लोगों को पट्टे दे दिये।

(4) नेशनल हाईवे के पास माखुपुरा चैक पोस्ट के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग और एनएचएआई, की जमीन के पट्टे।

(5) शहर में मात्र एक मनोरंजन सिनेमा घर की जमीन जिसमें थियेटर बना हुआ था, कई सालों तक थियेटर संचालित था, उसको भी तोडकर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए

पट्टे बनाकर कॉम्पलेक्स और शोरूम, दूकानें बनवा दीं।

(6) नेशनल हाईवे बिजली विभाग के सामने पीएचईडी का बोर चालू था, उस जमीन पर भी पट्टे बना कर बेच दिये।

(7) बी. ढाणी रोड पर श्री हेमाराम जी बिश्नोई की ढाणी के पास गौचर भूमि, तालाब था, उसको भी पास के खसरे नम्बर से पूरी जमीन के पट्टे बनाकर बेच दी।

(8) डाउडा नाड़ी के नाम से सालों पुराने तालाब की लगभग 28-30 बीघा जमीन जिसमें वर्तमान में शहर का सारा सीवरेज का गंदा पानी उस तालाब में डाला जा रहा है, उस पर भी कुछ पट्टे दे दिये।

(9) उपरोक्त उल्लेख की हुई सारी जमीन के पट्टे निरस्त किये जाये और वापस कब्जा लेकर जनहित में नियमानुसार कार्यवाही करवाकर जो फर्जीवाड़ा किया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करके आम जनता को राहत प्रदान करावें।

(10) हाडेजा रोड पर श्री गुरु राजेन्द्र नगर के पास पार्ट-2 में सरकारी जमीन में प्लॉट काट के लगभग 30-32 बीघा जमीन भी बेच दी।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत। पर्ची। दो-दो मिनट हैं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

फर्जी पट्टों पर बैंको द्वारा दिये गये लोन की वसूली

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका आभार।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर जिले में प्राइवेट बैंकों के द्वारा जो लोन दिया जा रहा है, उस लोन के ऊपर जो फर्जी पट्टों से सम्बन्धित था, अभी तक भी जांच में चल रहा है, एक साल हो गया, उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है।

हमारे कहने का मतलब यह है कि बैंक लोन किससे वसूल करेंगी? जो फर्जी पट्टे दिये गये हैं, उनके अन्दर खसरा नम्बर भी अंकित नहीं हैं। उनके ऊपर बैंकों के द्वारा लोन भी उठ रहा है। रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। इसमें एक गिरोह काम कर रहा है। अभी तक भी उस गिरोह के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।

इस गिरोह में एक स्कार्पियो गाड़ी खरीदी गई है। उसके नम्बर RJ14UK3121 हैं। यह गाड़ी जयपुर से उठी है। इस गाड़ी की डिलीवरी मई, 2023 में हुई है। लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन 8 महीने के बाद होता है, पूरा चुनाव निकलने के बाद। यह 30 जनवरी, 2024 को 8 महीने के बाद रजिस्टर्ड होती है। उस गाड़ी के मालिक का नाम भी छिपाया गया है और तीसरे के ऊपर लिया गया है। उसका आधार एवं पैन नम्बर भी दिया गया है। पैन नम्बर JDFPS3117 है। उसके आधार नम्बर को भी छिपाया गया है। यह बहुत बड़ी जांच का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के अन्दर गाड़ी चली।

Spp/Rtm/05.08.2024/13.00/1n

इसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है 8 महीने के बाद में चुनाव के अन्दर गाड़ी चली। थाने के अदंर इसको पकड़ा गया और पैसे वसूल करने के लिये भी उन चारों आदमियों को बन्द किया। लेकिन बड़ा अफसोस है कि यह गाड़ी कोर्ट से छूटी कैसे? यह भी एक सोचने का विषय है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इसकी गहनता से जांच करे और इस गिरोह को आगे लाकर इसमें पता करे और गाड़ी किसकी थी, अभी तक भी वह गाड़ी रोड पर नहीं है। गाड़ी कहां है, इसका भी पता लगाये। आपको धन्यवाद साहब।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 2.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.01 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Jyg/rtm/05.08.24/14.00/2c

(समय: 14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री सुभाष मील।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाओ। आपका विषय उस प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान आ गया।

श्री गोपाल लाल शर्मा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

मांडलगढ़ में रोडवेज बसों के नहीं चलने से उत्पन्न समस्या

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सरकार के कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन बंद हो गया था। मेरे क्षेत्र में ग्रामीण परिवेश है और 150 किलोमीटर लम्बा विधान सभा क्षेत्र है, आने-जाने का कोई भी साधन नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से मांग करता हूं कि मेरे माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गरीब आदमियों के आवागमन का कोई साधन नहीं है, हमेशा आने-जाने में अधिक पैसा और बहुत भारी कठिनाइयां होती हैं, उनको दूर करने के लिए मेरे माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भीलवाड़ा से बूंदी रोडवेज चलती थी वो बंद कर दी है, पांच साल से बंद है और बिजौलिया बहुत बड़ा कस्बा है, बिजौलिया से बूंदी 50 किलोमीटर की दूरी पर है पर वहां एक भी बस नहीं चलती है। दूसरा, मेरे माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में

भीलवाड़ा से मंगरोप, आम्मा, बड़लियास, सिंगोली, माण्डलगढ़, गैणोली, मोहनपुरा तक कोई बस नहीं है। आवागमन का एक भी साधन नहीं है तो यहां बस चलाने का आप आदेश करवाएं। भीलवाड़ा से त्रिवेणी, मेरा पूरा खेरार क्षेत्र है, जहां पर बहुत लम्बा क्षेत्र है, यहां पर एक भी बस नहीं चलती है। भीलवाड़ा से त्रिवेणी, मानपुरा, महुवा, श्रीनगर, जंजोला, जसीकुजीका खेड़ा, मांगटळा, माळ का खेड़ा, जलीदंरी व श्यामपुरा तक बस चलाने का आदेश करें।

माण्डलगढ़ से पहले जो जहाजपुर की बसें चलती थी, माण्डलगढ़ से शाहपुरा की बसें चलती थी, परंतु हमारे यहां 10 किलोमीटर में दो टोल हैं, दो टोल लगने से, दो टोल का चार्ज देने के बाद किराये में उनके पोसाता नहीं है तो एक भी बस नहीं चलती है, सब बसें बंद हो गईं, तो माण्डलगढ़ से जहाजपुर जाने के लिए, माण्डलगढ़ से त्रिवेणी, मानपुरा, दामण्या, काचोला, जहाजपुर, एक भी बस अभी संचालित नहीं है। पूरा क्षेत्र बस रहित है। इसके अलावा कोटड़ी से कोचाला कस्बा है, कोटड़ी से निकलते हैं तो मंसा गांव आता है, काकोला घाटी आती है, गंवली आती है, राजगढ़ आता है, फिर काचोला और सरथला, श्याम का बहुत बड़ा मन्दिर है पर वहां पर वहां पर आने-जाने का एक भी साधन नहीं है। मेरे भीलवाड़ा से जाने के लिए कोटड़ी, आम्मा, मंगरोत, पड़लियास, बरूगणी, सिंगोली, माण्डलगढ़ और मोहनपुरा गेणोली तक एक भी बस नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं, बिजौलिया बहुत बड़ा कस्बा है, इसमें ऊपरमाल का क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है पर वहां पर आने जाने का कोई साधन नहीं है, बिजौलिया से ऊमाजी का खेड़ा, सतारामजी का खेड़ा, मगरेड़ी, सतगुड़्या, कासिया से दिलिसुआ तक बस सेवा प्रारम्भ की जाए। कोटड़ी से मंसा, गंवली, काकोड़ा घाटी, राजगढ़, काचोला से सतला श्याम तक भी बस चलाने की कृपा करें। हमारे भीलवाड़ा से बेगूं रोडवेज बसें पहले चलती थी परंतु सब बंद हो गई। भीलवाड़ा से सवाईपुर, आकोला, बड़ल्यास, बरूंगणी, सिंगोली होती हुई बेगूं तक बस चलाने का आदेश करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में माण्डलगढ़ से शाहपुरा बस रोज हमेशा चलती थी, वो माण्डलगढ़ में टोल होने से, दस किलोमीटर में दो टोल, दो टोल लगने से वो बस पोसाती नहीं है, तो वहां आने-जाने का साधन बिलकुल बंद हो गया। अब शाहपुरा जिला बन गया, तो उस शाहपुरा जिले में मेरी भी कुछ पंचायतें जोड़ रखी हैं। वहां आवागमन का कोई भी साधन नहीं है, तो मैं मांग करता हूं कि माण्डलगढ़ से बीगोद, नन्दराय, किशनगढ़, कोटड़ी और शाहपुरा की बस भी आप चलाने का आदेश करावें। आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री अध्यक्षः श्री हरिसिंह रावत।

जयपुर-किशनगढ़ सड़क मार्ग पर दैनिक ट्रैफिक जाम

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर से किशनगढ़, एनएच रोड है, आप भी इस रोड से आते-जाते होंगे। इतनी हालत खराब है उस रोड की कि परसों रात को मेरी एक पेशेंट,

डिलिवरी केस था, ब्यावर से उसको रैफर किया, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी, वो छह घंटे जाम की फंस गई और उससे उसकी मौत हो गई। बच्ची जिन्दा है पर उसकी मां भगवान को प्यारी हो गई। कारण क्या है कि छह फ्लाई ओवर वहां पर बन रहे हैं। फ्लाई ओवर की स्थिति इतनी खराब है कि जर्जर स्थिति में है। उसके साथ-साथ जो सर्विस रोड है उसकी हालत इतनी खराब है कि छह-छह घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रोडों को, कम से कम सर्विस रोड तो सही बना लेवे। मैं समझता हूं कि आप भी इस रोड से गुजरते हैं, आप को भी महसूस हुआ होगा कि क्या स्थिति है। सभी जो इस रोड से गुजरते हैं वो जानते हैं इस रोड की बहुत हालत खराब है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों एक परिवार में किसी की डेथ हो गई, वो बैंगलोर से आया, वो इस जाम में करीब छह घंटे फंस गया, फिर किशनगढ़ से मोटरसाइकिल की व्यवस्था करवा कर उसको भीम पहुंचाया गया, यह स्थिति वहां पर रोडों की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ठेकेदारों को बाउण्ड करें और जब तक ये रोड पूरी तरह से तैयार नहीं होता तब तक टोल वसूली नहीं की जाए, टोल वसूली पर प्रतिबंध लगाया जाए, टोल किस बात का, जब रोड ही सही नहीं है तो किस बात की टोल वसूली कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तत्काल सभी सर्विस रोडों से सही करें, ताकि यातायात सुव्यस्थित हो सके। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः मैं इसी पर बोल रहा हूं जो आप कह रहे हैं।

सरकार को निश्चित रूप से इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। अजमेर से लेकर जयपुर का जो नेशनल हाई वे 48 है, यह पिछले दिनों, सड़कें भी खराब हैं, बरसात के दौरान स्थिति और गम्भीर है, छह-छह घंटे लग रहे हैं। इसको निश्चित रूप से गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें ताकि जनता को राहत हो। ..(व्यवधान).. यही विषय है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): +++

श्री अध्यक्षः ध्यान आ गया। ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): +++

श्री अध्यक्षः बता दिया, आपने बता दिया। हो गया। ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ..(व्यवधान).. +++

श्री अध्यक्षः ..(व्यवधान).. हो गया। ..(व्यवधान).. कुमारी रीटा चौधरी। पोइंट ऑफ इंफोर्मेशन। ..(व्यवधान).. इस पर कोई चर्चा नहीं है। यह चर्चा का विषय नहीं है। ..(व्यवधान).. माननीय, ऐसा नहीं। ..(व्यवधान).. माननीय, बैठो। अभी है नहीं समय, आप विराजो। ..(व्यवधान).. हो गया बैठिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): +++

श्री अध्यक्षः अलग नियम के तहत आइए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): +++

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं। ..(व्यवधान).. आप अलग नियमों में आइए। यह सदन का सदन है। ..(व्यवधान).. आप बैठो। रीटा चौधरी। ..(व्यवधान).. आपका हो गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्षः यह बाद का विषय है। ..(व्यवधान).. यह जवाब का विषय है। आपनियमों में आइए। ..(व्यवधान).. यह नियमों में नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्षः यह नियमों में नहीं है। ..(व्यवधान).. आप नियमों में आइए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्षः ध्यानाकर्षण। श्री मनीष यादव। ..(व्यवधान)..

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्षः अपनी सीट छोड़कर आगे मत आइए, ..(व्यवधान).. अपनी सीट पर जाइए।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्षः मनीष यादव।

..(व्यवधान).. आप विपक्ष के नेता की तरह करें ..(व्यवधान).. मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप चर्चा में आओ ..(व्यवधान).. आप चर्चा में आओ। यहां पर सरकार का उत्तर नहीं होता है, ऐसे इंफोर्मेशन पर। ..(व्यवधान).. नो, नोट एट ऑल ..(व्यवधान).. कोई देने की जरूरत नहीं है। ..(व्यवधान)..

श्री मनीष यादव। ..(व्यवधान).. ध्यान आकर्षित करो।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपात्र व बोगस आवेदन पर हस्तांतरित राशि के सम्बन्ध में दर्ज एफ.आई.आर. पर कार्यवाही

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस थाना शाहपुरा में दर्ज एफआईआर संख्या 23/2022 पर पुलिस कार्यवाही करते हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करवाने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण के लिए।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे व सदन कूप में आने का प्रयास)

श्री अध्यक्षः ..(व्यवधान).. यह क्या है? फिर मैं नाम ले लूंगा। ..(व्यवधान).. फिर मैं नाम ले लूंगा। पीछे जाइए। वैल से पीछे जाओ। ..(व्यवधान).. माननीय सचेतक, माननीय सचेतक, माननीय सचेतक, रफीक खान, माननीय सचेतक रफीक खान, पीछे। ..(व्यवधान).. इस पर जवाब नहीं आता। ..(व्यवधान)..

माननीय मंत्रीजी, गजेन्द्र सिंहजी। ..(व्यवधान)..

MLS/RTM/05.08.2024/14:10/2d

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 2019 लॉन्च की थी, जिसके अन्दर हमारे जितने भी गरीब किसान हैं, उन्हें 6 हजार रुपये हर साल इस योजना के तहत दिये जाते थे। ...(व्यवधान)...

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: यह कोई तमाशा है क्या? सदन को तमाशा बना रखा है। आपको बोलने की अनुमति, इनका सब एक्सपंज करवा दूंगा। ...(व्यवधान)... नो, नो, नियमों में आओ, नियमों में आओ। यह किताब पड़ी है, कोई नियमों में हो तो बताओ। ...(व्यवधान)...

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ऑनलाइन आवेदन होते थे, ई-मित्र और सीएससी (कस्टमर सर्विस सैंटर) के जरिये तहसीलदार इनका सत्यापन करते थे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नियमों में कोई हो तो बताओ। नियमों में हो तो बताओ। नो, नियमों के बिना कोई कार्यवाही नहीं चलेगी। ...(व्यवधान)... जो नियमों में नहीं है, असंवैधानिक काम नहीं करूंगा। उठाकर देख लो। किताब में से नियम बताओ। नियम बताओ, कौन-से नियम के अन्तर्गत आ रहे हो? कौन-से नियम के अन्तर्गत आ रहे हो, बताओ? ...(व्यवधान)... कोई नियम नहीं है। बताइये। कोई नियम नहीं है। नो, सब इनका एक्सपंज कर दो। नथिंग। ...(व्यवधान)... नियमों में आओ। मैं इसके साथ बन्धा हुआ हूं। इसमें कोई नियम नहीं है। इसमें नियम नहीं है।

हो गया? कुछ बोलना है?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पैसा जो है, वह बैंक के खातों में डायरेक्टली ट्रांसफर होता था। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: गैर नियम नहीं। पहले नियमों में आओ। सीटों पर जाओ और नियमों में आओ। मुझे लिखित में दे दो कौन-से नियम के अन्तर्गत बोल रहे हो। लिखित में नियम बताओ। ...(व्यवधान)...

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): तहसीलदार को एक एलोकेटेड आईडी थी, पासवर्ड था और 2020 में 2442 जो किसान हैं, उन्होंने ओटीपी का मिसयूज किया और उन्होंने डायरेक्ट खातों में जो लोगों के पैसे जाते थे, उनको नहीं आने दिया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह संवैधानिक नहीं है। नियमों में आओ। लिखित में दो। पहले नियम लिखित में दो, मैं तब ही करूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पूर्ववर्ती सरकार ने एफआईआर नं. 23/22 तारीख 26.01.2022 शाहपुरा थाना में दर्ज की। एफआर जो है, 27.02.2023 को

उसे क्लोज कर दिया गया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः नियमों में आओ। बिना नियम के कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। नियमों में करूंगा। मैं इसमें नियम देखूंगा, तब ही आपको सुनूंगा। यदि नियमों में होगा तो व्यवस्था दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): डिपार्टमेंट में कलक्टर ने पत्र लिखा था 19.10.2020 को और उसके अन्दर पीएम किसान टैक्निकल टीम, नई दिल्ली आयी और उन्होंने बोला कि इसके अन्दर हैकिंग नहीं हुई है, इसके अन्दर मिसयूज ऑफ ओटीपी हुआ है। अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट कलक्टर की चिट्ठी 15.12.2021 सब तहसीलदारों को भेजी गयी for recovery. दस रिकवर हुए। सहकारिता विभाग इसे परश्यू कर रहा है।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय यह है, एफआईआर लॉन्च हुई थी 26.01.2022 को और एफआर हुई 27.02.2023 को अदम पता के नाम पर। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः नियमों में आओगे, नियमों में लिखित में पहले दो, तब मैं व्यवस्था दूंगा। नियमों में आओ। ...(व्यवधान)...

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एडीजी क्राइम ने होम डिपार्टमेंट के डायरेक्शन पर 09.07.2024 को एसपी ग्रामीण को इस प्रकरण पर डायरेक्शन दिये, उनको मागदर्शन दिया कि इस केस को वापस खोला जाये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप लिखित में नियम में आओ, कल व्यवस्था दूंगा। नियमों में होगा तो जरूर करूंगा। नियमों में होगा तो जरूर करूंगा। ...(व्यवधान)... बोलो आप तो।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पुनः जांच करवा रहे हैं। को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी वसूली कर रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः ऐसे सदन नहीं चलता। ऐसे सदन नहीं चलता, माननीय, अभी का अभी उठाओ, अभी जवाब दो। ...(व्यवधान)...

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम आधार कार्ड से ई-केवाईसी से एक नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं, जिससे इसमें दुबारा दिक्कत नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्षः इसमें नियम बता दो, पढ़ लो। ये सारे नियम पढ़ लो।

हो गया?

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारे)

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रथम सत्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 442 से प्राप्त जवाब अनुसार शाहपुरा तहसील में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2444 अपात्र आवेदक, जिन्हें अवैध रूप से सत्यापित कर 48.88 लाख रुपये का अवैध भुगतान किया गया, महोदय, प्रदेश में इस तरह का गिरोह अथवा सिंडिकेट चल रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः पहले नियमों में आओ। पहले नियमों में आओ। ऐसे नहीं चलेगा। नो, दबाव

में काम नहीं करूंगा। नियमों के अनुसार करूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): वह आमजन के दस्तावेजों का गलत उपयोग कर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत कर इस तरह के कृत्यों को अंजाम देता है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कल मैं व्यवस्था दूंगा, पहले नियम बताओ। पहले नियमों में आओ, तब मैं बात करूंगा। नियमों में, दबाव में नहीं। ...(व्यवधान)... नो, नो, नो।

हो गया? छगनसिंह राजपुरोहित।

भाद्राजून तहसील (आहोर) में बाकली सिंचाई परियोजना के नवीनीकरण कार्य में संवेदक द्वारा अनियमितताएं

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के तहत विधान सभा क्षेत्र आहोर की तहसील भाद्राजून में बाकली सिंचाई परियोजना के नवीनीकरण कार्य में संवेदक द्वारा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से की गयी अनियमितता पर संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अगर मुझे पता होता आप इस तरह अव्यवस्था करेंगे तो आगे से आपको भी मैं अनुमतिनहीं दूंगा। मैंने सदाशयता से आपको अनुमति दे दी। यह मेरी सदाशयता का दुरुपयोग किया। ...(व्यवधान)... नो।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आहोर से आने वाले माननीय वरिष्ठ सदस्य को बताना चाहता हूं कि संवेदक मैसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन कम्पनी, सांचौर जिला जालोर को राजीकावास डब्ल्यू.एच.एस. के रिनोवेशन एवं रिपेयर कार्य, सागी नदी पर गाइड बंध का कार्य किरवाडा से सेवडी तक तथा बाकली बांध की मुख्य नहर व वितरण प्रणाली के रिनोवेशन एवं रिपेयर के कार्य हेतु क्रमश: राशि रुपये 13.31 करोड़, 3.16 करोड़ एवं 3.50 करोड़ के तीन अलग-अलग कार्य आदेश जारी किये गये हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: पहले सीटों पर बैठो।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): उपरोक्त कार्यों की स्वीकृत निविदाओं की दरें कम होने से एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हेतु तीन एफ.डी.आर. कुल राशि रुपये 1.45 करोड़ की संवेदक द्वारा खण्डीय कार्यालय में जमा करवाई, जो सम्बन्धित बैंक से सत्यापन करने पर फर्जी पाई गयी।

श्री अध्यक्ष: नियमों में आइये, तब ही व्यवस्था दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): संवेदक द्वारा फर्जी एफ.डी.आर. दिये जाने के सन्दर्भ में पुलिस थाना जालोर में दिनांक 25.05.2024 को एफ.आई.आर. दर्ज की गयी, जिसकी जांच लम्बित है।

संवेदक को दिनांक 03.04.2024 को फर्जी एफ.डी.आर. प्रस्तुत किये जाने का दोषी पाये

जाने पर फर्म का ''एए'' श्रेणी स्थायी पंजीयन रद्द कर फर्म का नाम काली सूची में डाला गया तथा फर्म की जमा पंजीयन प्रतिभूति राशि रुपये 4 लाख एफ.डी.आर. जब्त की गयी। लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों में काली सूची में डाले गये संवेदक को भविष्य में कोई भी कार्य नहीं दिये जाने का प्रावधान है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इनको मना करो। नियमों में आओ। यह सदन नियमों से चलता है। यह किताब ऐसे ही नहीं छपी है। पढ़कर तो बताओ, नियमों को पढ़कर बताओ। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): संवेदक द्वारा खण्डीय कार्यालय में तीन नई एफ.डी.आर. कुल राशि रुपये 1.45 करोड़ जमा करवाई गयी। संवेदक का नाम काली सूची में डाले जाने से पूर्व में स्वीकृत कार्य प्रगतिरत है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप तो नियमों में आओ, कल व्यवस्था दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): मेरे द्वारा प्रकरण में तुरन्त कार्रवाई करते हुए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता को दिनांक 28.02.2024 को निलम्बित किया तथा सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिये गये।

श्री अध्यक्ष: अपनी सीटों पर जाओ। अपनी सीटों पर जाओ। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): संवेदक मैसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन कम्पनी, सांचौर का काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में नाम वर्तमान में यथावत है।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, हो गया? माननीय सदस्य, आपको कुछ कहना है?

तीसरा, श्री बालमुकुन्दाचार्य।

सिर्फ एक बार अपील कर रहा हूं, अपनी सीटों पर जाइये, नियमों में आइये, कल व्यवस्था दूंगा। पहले नियमों में आओ, फिर व्यवस्था दूंगा। ...(व्यवधान)... ऐसे नहीं चलेगा।

जयपुर शहर की सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अनियम कार्य नहीं करूंगा। मुझे नियम बताएं, नियमों में व्यवस्था दूंगा।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): जयपुर शहर की विभिन्न सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण होने के सम्बन्ध में मैं स्वायत्त शासन मंत्री एवं नगरीय विकास मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कल पहले नियमों में आओगे तो व्यवस्था दूंगा। कल नियम होगा तो व्यवस्था दूंगा। नियम होगा, जरूर दूंगा। नियमों में आओ पहले। अपनी सीटों पर जाइये, नहीं तो आज की सारी बहस नहीं होगी। मेरे को क्या है, मैं सदन स्थगित करूंगा, आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। मुझे कुछ नहीं है। ...(व्यवधान)... इसमें नियमों में कहीं नहीं है, मैंने देख लिया। कहीं नहीं है। कल आओगे, कल नियमों में मेरे को रिटन में दो, कल आपको बुलाऊंगा, नियम में सही होगा तो मैं व्यवस्था दूंगा। ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारे)

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप तो बोलो, आप तो कंटीन्यू करो। यह चलता रहेगा।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत् माननीय विधायक महोदय और इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जयपुर विकास प्राधिकारण, नगर निगम, राजस्व विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग आदि बहुत से सरकारी विभागों से सम्बन्धित है। इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्षः पहले नियमों में रिटन में लाओ। राइटिंग में नियमों के तहत दो, किस नियम के अन्तर्गत बात कर रहे हो? 119 का नियम है, पढ़ लो। लोक हित में किसी विषय पर चर्चा - `'संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी, नहीं होगी।`'

mkd/rtm/05.08.2024/14.20/2e

कल नियम में आओ। मैंने पढ़ लिया, इसमें नहीं है। कल राइटिंग में आओगे तो कल व्यवस्था दूंगा। कह दिया, इस तरह नहीं, अभी का अभी आ जाओगे, व्यवस्था दे दो। मैं दबाव में नहीं रहने वाला हूं। Not at all! आप तो बोलते जाइये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाहरगढ़ वन क्षेत्र 1961 में अधिसूचना दिनांक 21.11.1961 द्वारा वन अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया गया था। इसके बाद वर्ष 1972 में दिनांक 22.09.1980 को इस क्षेत्र का अभयारण्य घोषित किया गया और इसके बाद भारत सरकार के वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 में पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन हेतु एक अधिसूचना जारी की गई, जिसे 14.09.2006 से प्रभावी किया गया। जिसमें अधिसूचना के भाग 'ए' और 'बी' में वर्णित कार्यों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की अनिवार्यता की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित प्रकरण गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ वर्ष 2008 में दिशा निर्देश दिये गये कि यदि ऐसा निर्माण कार्य, जो कि पार्ट 'बी' में आता है, परन्तु किसी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के निकट हो तो ऐसी पर्यावरणीय स्वीकृति राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के स्थायी समिति से ली जानी अनिवार्य होगी..।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः चैम्बर में आओ, बात करेंगे। चैम्बर में बात करेंगे।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): ..और इस प्रकार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

में निहित विषय वस्तु में बहुत से नियमों, अधिनियमों का उल्लंघन हुआ है। जिसमें जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, राजस्व विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग और पुलिस विभाग शामिल रहे हैं। इसलिए, मैं इस प्रकरण में घोषणा करता हूं कि राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग अपनी देखरेख में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर, पूरे प्रकरण में समस्त क्षेत्र की विभागवार भूमि का सीमाज्ञान एवं अतिक्रमणों को चिह्नित करवाने के साथ-साथ नियम विरुद्ध हुए गये निर्माण स्वीकृतियों आदि की गहनता से जांच दो माह में करवाकर दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे हम निश्चित रूप से अतिक्रमण हटाने, अवैध निर्माण जो कुछ भी हुए हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और जो दोषी अधिकारी होंगे, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे।

इसके अलावा पुलिस विभाग द्वारा बार-बार जयसिंहपुरा खोर की पहाड़ियों पर अतिक्रमण के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण को पत्र लिखे गये, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि जिला कलेक्टर, जयपुर जयसिंहपुरा खोर के पटवार सर्किल में लगभग 18 वर्षों से पदस्थापित पटवारी, जो विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों से मिलीभगत करके पट्टे जारी करवाकर अतिक्रमण करवाता है और अतिक्रमण की रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारियों को प्रेषित नहीं करता है, उसे तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर, वहां किसी नये पटवारी का पदस्थापन भी करेंगे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से जो जवाब आया है, एक तो वह काफी देर बाद आया है। काफी दिन पहले से ही निवेदन किया हुआ था, देरी से आने के बावजूद भी यह गलत जवाब दिया गया है। क्या मंत्री महोदय गलत जवाब देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं? तो कब तक?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): मैंने मेरे जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह अपनी देखरेख में एक उच्च अधिकारियों की समिति गठित कर इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच करवायेंगे और जांच करवाने के बाद, जो भी नियमों के खिलाफ काम हुए हैं, अतिक्रमण हुए हैं, जो कुछ हुआ है, उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए अभिशंसा करने के साथ-साथ, जिस भी कर्मचारी, अधिकारी की उसमें संलिप्तता है, उसकी भी जिम्मेदारी तय करेंगे और उनकी रिपोर्ट आने के बाद हम उस सम्बन्धित कार्मिक व अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्षः सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रिडको), जयपुर का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2002-23)

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रिडको), जयपुर का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अमृत लाल मीणा।

याचिका

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख अनुसार 2 याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

सिवाना में क्रमोन्नत विद्यालयों में विषय संकाय एवं व्याख्यताओं के पदों की स्वीकृति

(1) सिवाना में क्रमोन्नत विद्यालयों में विषय संकाय एवं व्याख्याता पद स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

सिवाना के बालियाणा गांव से पिपलीया मठ और सरीयादे नगर फांटा से पादरू ताण्डा बरो सड़कों का निर्माण

(2) सिवाना के बालियाणा गांव से पिपलीया मठ और सरीयादे नगर फांटा से पादरू ताण्डा बरो सड़क के अधूरे निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल।

जालोर, सिवाना, समदड़ी, कल्याणपुर, जोधुपर के रास्ते राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा का प्रारम्भ

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख अनुसार जालोर, सिवाना, समदड़ी, कल्याणपुर, जोधुपर के रास्ते राज्य पथ परिवहन निगम की बस शुरू करवाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपीचन्द मीणा। श्री अमित चाचाण।

विधायकों के अनुभवों और नवाचारों पर विचार। श्री जोगेश्वर जी गर्ग।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अब कुछ अच्छी-अच्छी बातें होने जा रही हैं, प्लीज विराजो। नेता प्रतिपक्ष से मेरा निवेदन है..।

श्री अध्यक्ष: माननीय, एक सेकंड।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

माननीय सदस्यगण द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनहित के कार्य व उनकी बेहतर प्राप्ति हेतु किये गये नवाचारों के सम्बन्ध में चर्चा का अवसर

आज लोकतंत्र के इस पवित्र सदन में "विधायकों के अनुभवों एवं नवाचारों पर चर्चा" के अवसर पर सदस्यों द्वारा अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में जनहित से संबंधित कार्यों, उपलब्धियों एवं किये गये नवाचारों के सम्बन्ध में अपने-अपने विचार सदन में रखेंगे। यह पहला अवसर है, जब राजस्थान प्रदेश के विधान मण्डल में इस विषय पर विधायकों को अपने मन की बात कहने का अवसर मिल रहा है।

प्रजातंत्र में सुस्थापित संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत निर्वाचित राज्य सरकार के साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के आमजन के प्रति उत्तरदायित्व निर्धारित होते है और उन दायित्वों, कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वह प्रदेश और अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों के उन्नत विकास के सम्बन्ध में उनकी क्या-क्या रीति-नीति है और उनके द्वारा ऐसे क्या नवाचार किये हैं, अपने अनुभव सदन के समक्ष रखेंगे।

इस सदन में हमारे बीच सबसे वरिष्ठ सदस्य श्री कालीचरण जी सराफ भी हैं, जो आठवीं बार राजधानी जयपुर से विधायक निर्वाचित हुए हैं, और भी कई हमारे वरिष्ठ विधायक हैं। जो लगातार निर्वाचित भी हो रहे हैं। निश्चित रूप से उनके इस दीर्घकालीन राजनीतिक और विधायकों के अनुभवों से हम सभी लाभान्वित होंगे। इनके साथ ही सदन में कई सदस्यों को भी दीर्घकालीन अनुभव है।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि वरिष्ठ माननीय सदस्यों के अनुभव से न केवल नवागन्तुक सदस्य अपितु पूरा सदन ही लाभान्वित होगा।

एक बार पुन: अपील कर रहा हूं कि अपने-अपने स्थानों पर जाइये। आज नवाचार का प्रारम्भ है। उसमें सहयोग प्रदान करें।

माननीय विपक्ष के सदस्यों से एक बार पुन: अपील कर रहा हूं, नियमों के अन्तर्गत आइये। नियमों के अन्तर्गत कल व्यवस्था दूंगा। माननीय जोगेश्वर जी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

विधायकों के अनुभवों एवं नवाचारों पर विचार

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एक नवाचार प्रारम्भ किया, अनेक नवाचारों के बीच एक नवाचार आज आप करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

अपनी बात शुरू करने से पहले नेता, प्रतिपक्ष, उप-नेता प्रतिपक्ष और सचेतक प्रतिपक्ष से निवेदन करता हूं, प्लीज, आप अपने स्थान पर जाइये, आपको जो विरोध दर्ज करवाना था, आपने करवा लिया है।

Bhs/Rtm/05.08.24/14.30/2f

अब आप भी नवाचार करिये और अपनी इस आगे की कार्यवाही में एक सकारात्मक प्रयोग राजस्थान विधान सभा के पटल पर होने जा रहा है उसमें आप भी भागीदार बनें। आपके अनुभवों का भी लाभ हम ले सकें, यह मेरा निवेदन है। मेहरबानी करके आप प्लीज पधारें। अब इसको छोड़िये। यह लम्बी लड़ाई है, लड़ते रहियेगा। पांच साल लड़नी है। ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारे जारी)

आयेंगे तो जवाब दे देंगे। अभी आप इसको शुरू करें। माननीय आसन से व्यवस्था मिल चुकी है। अब थोड़ा आप सहयोग करें, प्लीज।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 1990 में मारवाड़ ग्रामीण बैंक का मैनेजर था। मेरी अच्छीखासी नौकरी चल रही थी, अचानक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे कहा गया कि जालौर विधान सभा क्षेत्र से जो सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र है, वहां से मुझे चुनाव लड़ना है और जब मुझे यह कहा गया, संकेत किया गया और मैंने अपनी सहमति दी। मेरा टिकट फाइनल हुआ। मैं चुनाव लड़ने लिए आया। 1990 का जनवरी महीना था, जब मैंने नामांकन दाखिल किया और फरवरी महीना था जब मैं निर्वाचित हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस सदन के पटल पर एक बात रखना चाह रहा हूं। मैं वह व्यक्ति हूं जिसको राजनीति पसन्द नहीं थी। राजनीति में आने का कभी सोचा भी नहीं था। राजनीति मुझे करनी पड़ेगी, ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। कभी वार्ड पंच भी बनूंगा यह नहीं सोचा था, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे राजनीति में आना पड़ा और पैंतीस-छत्तीस साल होने जा रहे हैं मैं लगातार राजनीति में जी रहा हूं और इसलिये जो काम मुझे पसन्द नहीं था उस काम को भी करने का मैंने अच्छे से प्रयास किया यह मेरा एक बड़ा विलक्षण अनुभव है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शेर याद आ रहा है मुझे। नेता, प्रतिपक्ष शेर सुनिये, 'यह मेरे ख्वाब की मंजिल नहीं सही लेकिन...', मुझे राजनीति पसन्द नहीं थी, मैंने राजनीति सोची भी नहीं थी, राजनीति में आने का कोई प्रयास भी नहीं किया था। फिर भी कह रहा हूं, 'यह मेरे ख्वाब की मंजिल नहीं सही लेकिन अब आ गया हूं तो कुछ दिन काम करता चलूं।' आ गया तो फिर उसको ठीक से करना, अच्छे से करना यह तय करके आया हूं। चुनौती को स्वीकार किया और ईश्वर की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से, जालौर की जनता का आभारी हूं मैं पांचवीं बार मैं विधायक हूं। 6 बार मैंने विधान सभा चुनाव लड़े। एक बार लोक सभा चुनाव लड़ने का अवसर मिला। सरदार बूटा सिंह जैसे क़द्दावर नेता के सामने चुनाव लड़ने का अवसर मुझे पार्टी ने दिया, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का भी आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मैंने जो नवाचार शुरू से पहले दिन से किया। मेरे पहले चुनाव में जनसभा करने के लिए मेरे समर्थन में स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत पधारे थे जालौर। रात को बारह बजे मीटिंग हुई और उस भाषण में उन्होंने एक शब्द

प्रयोग किया कि हमने इस बार जालौर से एक नये लड़के को टिकट दिया है जो मुझे विश्वास है जालौर की राजनीति को नयी दिशा देगा। अब उन्होंने क्या सोच कर बोला था, मुझे पता नहीं लेकिन मैंने उस वाक्य को अपना ध्येय वाक्य बना लिया और अलग तरह की राजनीति करने का प्रयास किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला काम मैंने यह किया जो आज तक मैं कर रहा हूं, मैंने कभी भी मेरे प्रतिद्वंद्वी के लिए चाहे वह पार्टी के अन्दर मेरा प्रतिद्वंद्वी है, चाहे पार्टी के बाहर मेरा प्रतिद्वंद्वी है, चाहे मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, किसी के प्रति भी एक शब्द भी गलत नहीं बोला। कभी किसी का नाम भी नहीं लेता। मेरे सामने कौन चुनाव लड़ रहा है उसका नाम भी मैं अपने भाषणों में नहीं बोलता। यह एक नवाचार मैंने किया और जिसका बहुत अच्छा सकारात्मक असर जनता में गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कभी भी किसी के चरित्र हनन का प्रयास नहीं किया। किसी को गिरा कर खुद को खड़ा करने का प्रयास नहीं किया। मैंने अपने आपको अच्छा करने का प्रयास किया। दूसरे के रेखा टैस्ट को छोटा करने के बजाय अपनी रेखा को लम्बी करने का प्रयास किया। यह भी मेरा एक नवाचार रहा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति में पैसे का महत्व बढ़ रहा है। यह सब तरफ दिखायी दे रहा है लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ पांचवीं बार आज इस पवित्र सदन में खड़ा होकर कह रहा हूं कि बिना पैसे की राजनीति मैंने की है। मेरे पास पैसा नहीं था, आज भी नहीं है और कम से कम खर्चे में मैं चुनाव लड़ता हूं। कभी भी किसी तरह के अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करता। हमारे क्षेत्र में कई तरह की चीजें चलती हैं। शराब भी कोई उम्मीदवार बांटते होंगे, अफीम बहुत चलता है हमारे वहां अफीम भी बंटता होगा। कुछ लोग पैसा भी बांटते होंगे, प्रलोभन भी देते होंगे लेकिन मैंने कभी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया। मेरे पास न तो ऐसा करने के लिए पैसा था और न मैं करना चाहता था इसलिये उसका भी मुझे बहुत लाभ मिला और उसका एक सकारात्मक वातावरण क्षेत्र में बना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक विधान सभा क्षेत्रों में जितने में उनके शराब और अफीम पूरी नहीं पड़ती उतने में मैं पूरा चुनाव लड़ कर आ जाता हूं। यह मेरा एक नवाचार रहा और मैंने कभी भी किसी के साथ बदले का व्यवहार नहीं किया।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: कल नियमों में आइये। मैं व्यवस्था दूंगा। अभी अपनी सीटों पर जाइये। यह अपील कर रहा हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): जो मेरे सामने कांग्रेस पार्टी या और किसी पार्टी से कार्यकर्ता हैं और मेरा विरोध करते हैं चुनाव में, उनको भी कभी किसी केस में फंसाना, उनकी शिकायतें करना, उनको परेशान करना, वह काम मैंने नहीं किया। यहां तक कि मेरी पार्टी के अपनी पार्टी के व्यक्ति भी कई बार मेरी खिलाफत कर गये। टिकट में

खिलाफत की तो भी ठीक है उससे भी आगे चुनाव में भी खिलाफत कर गये, उनको भी कभी मैंने उलाहना तक नहीं दिया। कभी मैंने उनको यह नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो या क्यों किया तुमने, कभी उनसे भी बदला नहीं लिया, उनको भी परेशान नहीं किया। इसका भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात, मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि काम के लिए मैंने किसी को मना नहीं किया। मेरे खिलाफ काम करने वाला भी यदि कोई विकास का काम लेकर आ गया कोई सेवा का काम लेकर आ गया या कोई व्यक्तिगत समस्या का काम लेकर आ गया तो उसको मैंने मना नहीं किया। यह सोच कर कि इसका काम यदि होना है, ईश्वर ने तय कर रखा है कि इसका काम होना है तो वह जरूर होगा। अब ईश्वर वह श्रेय मुझे दिलवाना चाहता है तो मैं क्यों न लूं उस श्रेय को। यह सोच कर मैंने उसका सहयोग किया, उसका काम हुआ, उसकी किस्मत से हुआ लेकिन माध्यम मैं बना और उसके कारण से भी मेरे दुश्मन, मेरे राजनीतिक विरोधी मेरे प्रति नरम पड़ते गये, कमजोर पड़ते गये और मेरा पक्ष लेने वाले मजबूत होते गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शब्द मैं अक्सर प्रयोग करता हूं। मैं भले लोगों के भरोसे राजनीति कर रहा हूं, यह मेरे भाषणों में मैं बोलता हूं। कई जगह सुना जाता है कि गुंडे बदमाशों का उपयोग किया जाता है, बूथ कैप्चरिंग किया जाता है, ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है, होता होगा पर मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि भले लोगों की शक्ति के भरोसे, भले लोगों की, अच्छे लोगों की ताकत के भरोसे चुनाव लड़ता हूं। चुनाव लड़ते समय कई बार विरोधी गुंडागर्दी पर भी आये हैं, मारपीट जैसी घटनाएं भी हुई मेरे चुनाव में उसके बाद भी वोट, मुझे भले लोगों का साइलेंट वोट चुपचाप वोट मुझे मिला, उसके कारण, मेरी जाति का वोट नहीं है वहां मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेरी जाति का वोट मुश्किल से डेढ़-दो हजार होगा फिर भी मैं पांचवीं बार जीत कर आया हूं क्योंकि 36 कौम के भले लोग मुझे वोट देते रहे हैं और भले लोगों ने मुझे समर्थन दिया, अशीर्वाद दिया। सारे साधु-सन्त जितने भी मेरे क्षेत्र के हैं उन सबका अशीर्वाद मुझे मिला।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने विरोधियों के प्रति भी स्नेहपूर्ण सम्बन्ध मैंने हमेशा बनाये रखे और यह बात मैंने स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत से सीखी। स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत को मैंने यह करते हुए देखा। राजनीतिक विरोधियों के लिए भी जब भी कभी परिवार पर संकट आया, व्यक्तिगत संकट आया, कोई बीमार हो गया, कोई आफत आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने आगे बढ़ कर सबसे पहले उनकी मदद की। वैसे ही करने का मैंने प्रयास किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चुनाव में मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे थे, उस उम्मीदवार के भतीजे का एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई। मुझे पता लगा कि वह हॉस्पिटल में आ गया है। मैं तुरन्त भाग कर हॉस्पिटल में गया और वह कैंडिडेट वहां पहुंचता उससे पहले उसके भतीजे का पूरा इलाज प्लास्टर वगैरह मैं करवा चुका था और उसके बाद वो

आये तब उनको कहा कि आपके भतीजे का इलाज हो गया है। वह अब ठीक है और आप आराम से जाकर अपने चुनाव का प्रचार करिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह का वातावरण सकारात्मक वातावरण बनाने का मैंने प्रयास किया। चुनाव के दौरान जो प्रतिद्वंद्वी आमने-सामने यदि किसी गांव में मिल गया तो उससे गले मिल कर उसे बधाई देना, उसके लिए शुभकामना प्रकट करना और सकारात्मक रूप से चुनाव लड़ने के लिए आह्वान करना, यह प्रयास मैंने मेरे जीवन में किया है और इस प्रकार से एक सकारात्मक राजनीति का वातावरण, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का वातावरण बनाने का मैंने प्रयास किया मेरे क्षेत्र में और उसका मुझे बहुत लाभ मिला। मेरे विरोधी भी, मेरी विरोधी पार्टी के लोग भी मन ही मन यह दुआ करते हैं कि यह आदमी जीतना चाहिये और इसलिये मैं पांच बार जीत कर आया।

Kas/rtm/05.08.2024/14.40/2g

इसलिए मुझे जनता की सेवा करने का इतना लंबा समय मिला। इस प्रकार की चर्चा करके मैं यह नहीं कह रहा कि मेरा महत्व बढ़े या मेरी तारीफ हो, मैं सदन में मौजूद सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि खास कर जो नये आने वाले सदस्य हैं, वो लोग यदि इसको सीखेंगे तो अच्छा होगा। चुनाव में जो हमारे खिलाफ गये हैं, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है, उनको कुचलने का प्रयास करोगे तो आपके समर्थक लोगों की संख्या घटती जायेगी। उनके साथ अगर आप सद्भावनापूर्ण व्यवहार करोगे तो हो सकता है वो आपके फोलोअर बन जाये, हो सकता है वो आपके सहयोगी बन जाएं। दुश्मन को दोस्त बनाने का यह एक सकारात्मक तरीका है और वही करने का मैंने प्रयास किया है और ईश्वर की कृपा से इसमें मैं काफी हद तक सफल रहा हूं।

अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बार फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बार अवसर दिया। जालोर की जनता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे सकारात्मक प्रयोग को सहजता से लिया, सकारात्मकता से लिया और मुझे 5-5 बार आशीर्वाद दिया, उन सबका धन्यवाद करते हुए और, अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि आपने यह सकारात्मक बात यहां रखने का मुझे अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली, श्री टीकाराम जूली। श्री श्रीचन्द कृपलानी। ...(व्यवधान)... आज पूरी कार्यवाही करूंगा, इस विषय पर कल बात करूंगा। अब नहीं मानूंगा इनकी। पहले अपनी सीटों पर जाओ, फिर व्यवस्था दूंगा। मैं दबाव में इस जन्म में नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, चाहे कोई खुदा भी आ जाये, सदन चलाना मुझे आता है। आप अपने अनुभव सुनाओ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद

देता हूं कि आपने एक ऐसा नया प्रयोग किया है, निश्चित रूप से नवाचार के इस प्रयोग से हम सबको सीखने और खास तौर से नये साथियों को सीखने को मिलेगा।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सदन में कोई निषय उठाने से पूर्व सचिव, विधान सभा को

पूर्वर्द्ध लिखित सूचना अनिवार्य

श्री अध्यक्ष: एक सेकण्ड। आसन पांवों पर है। यह बचपना यहां नहीं चलेगा। सदन से जाना है, जाओ; बैठना है, बैठो। आप सभी के पास यह किताब है, किताब का नियम 294 और 295 मैं पढ़कर सुना रहा हूं, उसके बाद कोई बात हो तो मेरे से आकर बात कर सकते हो, सीटों पर जाकर।

'औचित्य प्रश्न और उन पर विनिश्चय- (1) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसके द्वारा ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।

'(2) औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा: परंतु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारंभ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेगा यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्य विन्यास के सम्बन्ध में हो।'

नियम 295 कह रहा है- ऐसा विषय उठाना जो औचित्य प्रश्न न हो- जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह प्रमुख सचिव को लिखित रूप में सूचना देगा जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतलायेगा जिसे वह सदन में उठाना चाहता हो तथा साथ में कारण भी बतायेगा कि वह उसे क्यों उठाना चाहता है और उसे ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दी जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि को दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करे।

आपने अभी तक प्रमुख सचिव को लिखित में कोई भी सूचना नहीं दी है। आप सूचना दे दो ...(व्यवधान)... पहले मेरी पूरी बात सुन लो। सूचना दे दो, नियम देख कर कल मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। आपसे पुनः एक बार अपील कर रहा हूं कि अपनी सीटों पर जाइए। ...(व्यवधान)... आपने कोई नवाचार किये ही नहीं होंगे, इसलिए भाग नहीं लेना चाह रहे हो। अगर यही नवाचार हैं और नये लोगों को यही सिखा रहे हो तो जो दो-चार लोगों के मैंने नाम लिये हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा नियम प्रक्रिया से चलती है, यह बात सही है। मैंने आपकी अनुमति से ही व्यवस्था का प्रश्न यहां पर किया था।

श्री अध्यक्ष: आपने व्यवस्था नहीं कहा, आपने कोई प्रश्न कहा, मैंने सोचा विपक्ष के नेता हैं, दो मिनट दे दिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मैंने व्यवस्था का प्रश्न ही कहा था। इसी का

नियम 119 कह रहा है, `119.-लोक-हित के किसी विषय पर चर्चा- संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।`

अध्यक्ष महोदय, यह विषय संविधान का है। आज जो व्यवस्था बनी है, भारत सरकार के नियमों को राजस्थान सरकार नहीं मान रही तो शून्य की स्थिति है। हम तो नियमों में ही कह रहे हैं। नियम 356 में राजस्थान सरकार बाध्य है कि वह भारत सरकार के जो नियम बने हुए हैं, उनकी पालना करेगी और 256 में अगर पालना नहीं करते हैं तो प्रस्ताव आयेगा। इस पर सरकार जवाब दे।

श्री अध्यक्ष: पहले सूचना दीजिए, कल इस पर व्यवस्था दूंगा, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं दूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि आप व्यवस्था दे दो, सरकार का जवाब आ जाये, तो हम बैठ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी कि आप नियमों में आइए, कल इस पर व्यवस्था दूंगा। मैं एक बार पुन: अपील कर रहा हूं कि अपनी सीटों पर जाइए।

श्रीचन्द जी, अब शुरू करो। कह दिया कल व्यवस्था दूंगा, आप पहले राइटिंग में दीजिए। पहले राइटिंग में दिया जाता है, उसके बाद व्यवस्था होती है। बिना राइटिंग में दिये खड़े होकर जो चाहो कि इस पर जवाब दिलवाओ, ऐसा थोड़े ही होता है। व्यवस्था तब दूं जब कोई मेरे पास प्रश्न आये। पहले प्रमुख सचिव को राइटिंग में दो, उसके बाद ही तो कोई व्यवस्था होगी। ऐसे खड़े हो गये कि व्यवस्था दो, ऐसे नहीं होता है। ...(व्यवधान)... मैं प्यार से ही कह रहा हूं अपनी सीटों पर जाइए, इस पर कल आप राइटिंग में दीजिए, कल व्यवस्था दूंगा, मैं बार-बार यही पुकार रहा हूं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय नेता, प्रतिपक्ष महोदय, आज माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक नया नवाचार किया है, आप लोग अपने अनुभव सुनाओ।

श्री अध्यक्ष: आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, कल दूंगा, कल दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कह रहा था कि डोटासरा जी को नेता प्रतिपक्ष बना दो। जूली जी, नेता प्रतिपक्ष डोटासरा जी को बनने दो, आपके बस का रोग नहीं है। आप संविधान ही नहीं समझ रहे हो, अध्यक्ष जी की व्यवस्था को ही नहीं समझ रहे हो।

श्री अध्यक्ष: अभी मेरे पास राइटिंग में कोई मुद्दा ही नहीं है जिस पर मैं व्यवस्था दूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं राहुल गांधी जी को लिख कर भेज रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष डोटासरा जी को बनाओ। ...(व्यवधान)... खडगे साहब और राहुल गांधी जी को हम लिख कर भेज रहे हैं कि नेता, प्रतिपक्ष डोटासरा जी को बनाया जाये। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने विधायकों का

अनुभव एवं नवाचारों पर विचार करने के लिये हम सबको प्रेरित किया। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आज जो नवाचार यहां पर होंगे उससे जो नये सदस्य यहां पर जीत कर आये हैं, उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा।

Msk/rtm/05.08.24/1450/ 2h

अध्यक्ष महोदय, दु:ख की बात यह है कि प्रतिपक्ष के हमारे कुछ साथी, जो नये भी हैं, ये इस बात का विचार नहीं कर रहे हैं। जूली साहब, पूरा राजस्थान आपको देख रहा है। पूरे राजस्थान की जनता आपको देख रही है कि किस तरह आप नवाचार के दिन नये सदस्यों को सीखने नहीं दे रहे हो। आप इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, जिससे राजस्थान शर्मसार हो रहा है। अब भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा विचार करो और अपनी-अपनी बैंचों पर जाओ। ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: पहले अपनी सीटों पर जाओ, तब बात करुंगा। आप बोलिये, इनके नवाचार यही हैं, आप अपने नवाचार बतायें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं वही बोल रहा हूं। एक तो माइक ऊपर नहीं है।

अनुभवों की कमी नहीं है यहां,
हमने कई मौसम बदलते देखे हैं,
कभी सरकार बदलती देखी है,
तो कभी सरकार बदलते देखे हैं,
अब गांव बदल जायें, शहर बदल गये,
कुछ हम बदलें, कुछ आप बदल जायें,
बदलना ही है तो कुछ नजरिया बदलके देखो,
नेतागिरी वही है, कुछ अंदाज बदलकर देखो।

यह है नवाचार, इस पर आप विचार करें। लेकिन आप ले-देकर आपका जो पुराना सिस्टम है, उस पर चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे ध्यान है, जब मैं राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत, जिनको हमेशा अपनी प्रेरणा का स्त्रोत माना है। मैंने जब राजनीति की शुरूआत की थी, तब मैं निम्बाहेड़ा से विधायक बना और उसके पहले भैरोंसिंह जी शेखावत साहब वहां से विधायक थे। उन्होंने मुझे एक बात सिखायी थी और वह पूरे राजस्थान को भी वह कहते थे कि राजनीति में दुश्मन पैदा मत करो, दोस्त पैदा करो। उस रास्ते पर जितने नये विधायक हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि उस रास्ते पर चलते रहें। प्रयास इस बात का करें कि हमारे दुश्मन कम से कम हों। दोस्तों की संख्या बढ़ायेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय, नवाचार का मतलब क्या होता है? नवाचार का मतलब है, नये विचार।

नये विचार अगर नवीनीकरण से हम देखें, अध्यक्ष महोदय, नवीनीकरण तो करना ही है। लेकिन नवाचार के साथ जो आचार जुड़ा हुआ है, उस आचार का मतलब यह है कि हमारा जनता के साथ व्यवहार कैसा है? हमारा लोगों के साथ व्यवहार कैसा है? हमारे क्रियाकलाप कैसे हैं? हमारा शिष्टाचार कैसा है? इन कांग्रेसियों के शिष्टाचार सीख गये तो तुम डूब जाओगे। इसलिए मेरा निवेदन है.. ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: मैं सभी से अपील कर रहा हूं कि अपनी सीटों पर जाइये, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। अब जाइये। सबसे निवेदन कर रहा हूं कि अपनी सीटों पर जाइये, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): साहब, मेरे भाषण का क्या होगा?

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था ही दूंगा, जो दी है। माननीय सदस्य, विराजें।

अपन सब जनता से निर्वाचित होकर सदन में आये हैं। यह सदन अपनी परम्पराओं, नियमों और यह किताब 'राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन' इसके अंतर्गत चलता है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई भी विषय है, पहले आप लिखित में हमको देंगे, उसका परीक्षण कराऊंगा, फिर उस पर व्यवस्था दूंगा। उस प्रक्रिया के तहत आज तक सदन में, 1952 से लेकर मैंने सारा दिखवा दिया कि जब सदन में मुद्दा उठा हो। कहते हैं कि अभी की अभी व्यवस्था हो। हमेशा मुद्दा पहले राइटिंग में आता है, उसका परीक्षण होता है। परीक्षण के बाद उस पर व्यवस्था होती है कि इस पर क्या किया जाए? इसलिए मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि आप सदन को चलने दें। आप राइटिंग में अपना विषय, सदन के प्रतिपक्ष के नेता जो भी देना चाह रहे हैं, वह प्रमुख सचिव को दें। मैं उसका परीक्षण कराऊंगा। परीक्षण कराने के बाद कल इसकी व्यवस्था दूंगा। ...(व्यवधान)... जो बात हुई है, वह बात मैंने कही है। ...(व्यवधान)... इनका भी कहना नहीं मानते। पारीक साहब से सारी बात कर ली।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मेरा तो इतना ही निवेदन है। हम तो यह नहीं चाह रहे कि व्यवस्था आज ही दें। हम तो सिर्फ इतनी-सी बात कह रहे हैं कि प्रश्न जो है, वह बहुत गंभीर है। हम अभी आपको प्रस्ताव पेश कर देते हैं, आप कल व्यवस्था दे देना।

श्री अध्यक्ष: मैं उसका परीक्षण कराऊंगा, उसके बाद व्यवस्था दूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): परीक्षण तो सारी चीजें..

श्री अध्यक्ष: विधि परीक्षण तो मेरा काम है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार जवाब दे दे, हम गलत कह रहे हैं तो।

श्री अध्यक्ष: मैं परीक्षण कराकर उस पर व्यवस्था दूंगा। यह क्लीयर है। ...(व्यवधान)... यही करना है। आप बहिर्गमन करके वापस आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा करना है। इससे ज्यादा नहीं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप अनुभवी हैं। मैंने आपके सबसे अनुभवी माननीय से भी चर्चा कर ली। यही व्यवस्था होती है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि प्रतिपक्ष के नेताओं का आप एक नवाचार रखें। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट, कृपलानी जी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप पहले बैठो। तमाशा कर रहे हो। I will name you. नाम लेने के बाद इस सदन में प्रवेश नहीं कर पायेंगे। इस सदन में प्रवेश नहीं कर पायें। माननीय नेता, मैं इनका निकलवाने का नाम ले रहा हूं। संसदीय मंत्री, प्रस्ताव लाइये। संसदीय मंत्री, मैं प्रस्ताव ला रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी.. ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ये सुनने को ही तैयार नहीं हैं। कौनसे नवाचार की बात करेंगे? माननीय नेता, प्रतिपक्ष महोदय, आप खड़े हैं, और आपके ये एमएलए पीछे खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं उस सदस्य का नाम ले रहा हूं। आपके कहने से रूक गया हूं। सदन में कभी पांव रख पाओगे। मैं बता रहा हूं। यह नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, गुस्ता मत करो।

श्री अध्यक्ष: तुम बैठो, यह तमाशा सबको आता है। माननीय संसदीय मंत्री, सदस्य का प्रस्ताव लाइये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, आप गुस्सा मत होइये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ऐसे सदस्य के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आओ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी.. ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: उसके खिलाफ प्रस्ताव लाओ। ...(व्यवधान)... फिर आज सदन चले या नहीं चले। यूं करके मेरे से बात कर रहे हो। अध्यक्ष से बात कर रहे हो। इतनी तमीज नहीं है। प्रस्ताव लाएं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, आप विराजें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: उसको सदन से बाहर से भेजो, तब मैं सुनूंगा। हंस रहे हो? शर्म नहीं आ रही है?

सदस्य का निलम्बन

मुकेश भाकर, श्री, सदस्य का वर्तमान सत्र की बैठकों से निलंबन

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, एक तरफ जहां आप नवाचार का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ उधर से कदाचार हो रहा है। आसन की अवहेलना की जा रही है और आसन का अपमान किया जा रहा है। आसन को धमकाया जा रहा है। यह निन्दनीय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री मुकेश भाकर, सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा आज आसन की तरफ अंगुली उठाकर अभद्र व्यवहार किया गया है, उसके

लिए वर्तमान सत्र की बैठकों से निलंबित किया जाये?

श्री अध्यक्षः इनको सदन से निलंबित किया जाता है। मार्शल निकालो।

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.59 बजे 15.29 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

mdp/rtm/05.08.2024/15:20/2l

(समय 15.29 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापतिः सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15:29 बजे 15:59 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Ans/rtm 15.50 2o 05.08.2024

(समयः 15.59 बजे)

पुनःसमवेत होने पर

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापतिः श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापतिः श्री मुकेश भाकर, आप बाहर जाए। आपको आसन से आदेश हो चुके हैं निलम्बन के, आप बाहर बैठिए।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री मुकेश भाकर, आप बाहर जाइये। आपको बाहर जाने के आदेश हो चुके। ...(व्यवधान)... आसन से आपको बाहर जाने के आदेश हो चुके। मार्शल।

श्री श्रीचन्द कृपलानी।

VPS-RTM-05.08.2024-16.00-2p

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने एक नवाचार रखकर और जो ...(व्यवधान)... क्या बोलूं? ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में भारी व्यवधान एवं नारे)

श्री सभापतिः श्री श्रीचन्द कृपलानी। श्री श्रीचन्द कृपलानी। श्री श्रीचन्द कृपलानी, बोलिये आप। बोलिये। आप बोलिये। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या बोलूं?

श्री सभापतिः आप बोलिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैंने जब अपने विचार शुरू किये थे तो मैंने अध्यक्ष महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया था। माननीय सभापति महोदय, नवाचार जो हमारे अध्यक्षजी ने आज का विषय रखा है, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि यह वास्तव में उन्होंने एक ऐसे विषय को, जिस विषय से हमारे जितने भी नये विधायक जो पहली बार सदन में चुनकर आये हैं, निश्चित रूप से उनको जो पुराने सदस्य हैं, उनके अनुभवों का लाभ उनको मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, लेकिन यह जो हालात मुझे दिख रहे हैं, उससे यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी और हमारे विपक्ष के लोग शर्म-हया छोड़ चुके हैं। उनको आज यह बात महसूस नहीं हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में भारी व्यवधान एवं नारे)

श्री सभापतिः सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जाती है, 11.00 बजे तक।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.01 बजे मंगलवार, दिनांक 06 अगस्त 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

....